

विशेष शिक्षा में अभिभावकों के अधिकारों हेतु मार्गदर्शिका

विशेष शिक्षा प्रक्रियात्मक सुरक्षा संबंधी सूचना

COLORADO
Department of Education

अप्रैल 2024

Colorado Department of Education
विशिष्ट छात्र सेवा इकाई (Exceptional Student Services Unit)
201 E. Colfax, Room 402
Denver, CO 80203

ईमेल: Parents_ESSUquestions@cde.state.co.us.us

वेबसाइट: Visit the CDE Dispute Resolution Website

आप इस मार्गदर्शिका के पिछले पृष्ठ पर अभिभावकों हेतु अतिरिक्त संसाधन एवं संपर्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



विशेष शिक्षा के संबंध में

3 से 21 वर्ष आयु के दिव्यांग छात्र सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में अधिगम करने, उस तक पहुँच प्राप्त करने तथा उसमें प्रगति करने में सहायता हेतु विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाओं के अधिकार के पात्र हो सकते हैं। विशेष शिक्षा का संचालन संघीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है, जिनका वर्णन दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा अधिनियम (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) में किया गया है, तथा राज्य स्तरीय आवश्यकताओं के अनुरूप, जिनका वर्णन असाधारण बच्चों की शिक्षा अधिनियम (Exceptional Children's Educational Act, ECEA) में किया गया है।

अभिभावकों को अपने बच्चे के विशेष शिक्षा कार्यक्रम के विकास में सार्थक रूप से भाग लेने का अधिकार है। सार्थक सहभागिता का अधिकार IDEA के अंतर्गत निहित "प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय" नामक आवश्यकताओं के एक समूह द्वारा संरक्षित किया गया है। सामूहिक रूप से, ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि अभिभावकों को अपने बच्चे के शैक्षिक कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संबंध में सूचित निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो, तथा जिन निर्णयों से वे सहमत नहीं हैं, उन्हें चुनौती देने का भी अधिकार हो।

यह मार्गदर्शिका इन अधिकारों की व्याख्या करने हेतु अभिभावकों के निमित्त तैयार की गई है। अभिभावक की परिभाषा में बच्चे के जैविक या दत्तक माता-पिता, कानूनी अभिभावक, पालक माता-पिता या शैक्षिक सरोगेट अभिभावक सम्मिलित हैं, किंतु यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है।

कोलोराडो में, IDEA तथा ECEA की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विशेष शिक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी स्थानीय शिक्षा एजेंसी को प्रशासनिक इकाई (Administrative Unit, AU) कहा जाता है। एक AU कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट, सहकारी सेवाओं का बोर्ड (Board of Cooperative Services, BOCES), अथवा राज्यद्वारा संचालित कार्यक्रम (State Operated Program, SOP) हो सकती है। सुगमतापूर्वक पठन हेतु, इस मार्गदर्शिका में AU के संदर्भ में "स्कूल डिस्ट्रिक्ट" शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

सार्वजनिक एजेंसी की परिभाषा के अंतर्गत कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट, सहकारी सेवाओं का बोर्ड (Board of Cooperative Services, BOCES), राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रम, अथवा राज्य शिक्षा एजेंसी (इस संदर्भ में, Colorado Department of Education) सम्मिलित है।

आपका स्थानीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी इस कानून के अंतर्गत आपके अधिकारों को समझने में आपकी सहायता कर सकता है। यदि इस मार्गदर्शिका में दी गई जानकारी के संबंध में आपके कोई प्रश्न हों, तो कृपया अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट के विशेष शिक्षा निदेशक से संपर्क करें।

विशेष शिक्षा के लिए आपके स्कूल के संपर्क सूत्र:

स्कूल डिस्ट्रिक्ट: कृपया इस अनुभाग में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित करें:

विशेष शिक्षा निदेशक:

फ़ोन नंबर:

ई-मेल पता:

धारा 504 एक पृथक विधि है, जो व्यक्तियों को दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव से संरक्षण प्रदान करता है। वे छात्र जिनके पास व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (Individualized Education Program, IEP) है, वे धारा 504 के अंतर्गत भी संरक्षित हैं।

आपका स्थानीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट इस कानून के अंतर्गत आपके अधिकारों को समझने में आपकी सहायता कर सकता है। यदि आपके पास धारा 504 के संबंध में कोई प्रश्न हों, तो कृपया अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट के 504 समन्वयक से संपर्क करें।

स्कूल डिस्ट्रिक्ट: कृपया इस अनुभाग में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित करें:

504 समन्वयक:

फ़ोन नंबर:

ईमेल पता:

विषय-सूची

A. परिचय 1

B. अपने बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं और विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में सूचना प्राप्त करने का आपका अधिकार 2

अभिभावकों की सूचनाबद्ध सहमति 2

विशेष शिक्षा के लिए सहमति की वापसी 3

क्या आपका बच्चा विशेष शिक्षा के लिए पात्र है? 4

स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन 6

पूर्व लिखित सूचना 8

शैक्षिक अभिलेख 9

अभिलेखों तक पहुंच का अधिकार 9

C. विवाद समाधान के माध्यम से अपने बच्चे के विशेष शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित निर्णयों को चुनौती देने का आपका अधिकार 11

मध्यस्थता 13

राज्य स्तरीय शिकायत दर्ज करना 15

राज्य स्तरीय शिकायत प्रक्रिया 17

विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करना 19

विधिसम्मत प्रक्रिया की समय-सीमा एवं प्रक्रिया। 20

विधिसम्मत प्रक्रिया समाधान बैठक 22

सुनवाई प्रक्रिया 24

विधिसम्मत प्रक्रिया के दौरान बच्चे की स्थिति 25

निर्णय के विरुद्ध अपील 26

अधिवक्ता शुल्क 26

अभिभावकों द्वारा सार्वजनिक खर्च पर निजी स्कूल में अक्षमता वाले बच्चों का एकपक्षीय नामांकन 28

प्रतिपूर्ति निर्धारण प्रक्रिया 28

D. अनुशासन से संबंधित निर्णयों को चुनौती देने का आपका अधिकार 29

दिव्यांग बच्चों हेतु अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ 29

अभिव्यक्ति निर्धारण 29

अंतरिम वैकल्पिक (अस्थायी एवं भिन्न) शैक्षिक परिवेश 31

परिशिष्ट A: पात्रता श्रेणियाँ वेब लिंक A1

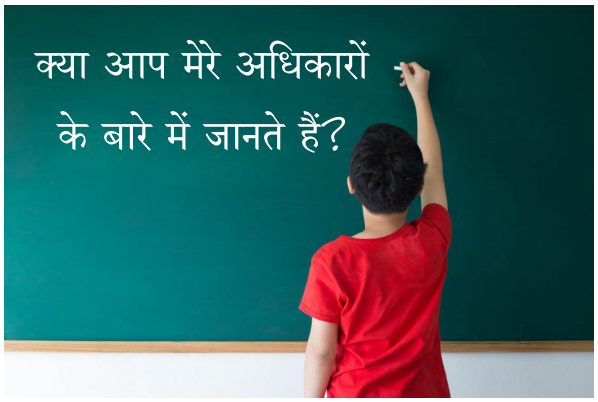
परिशिष्ट B: एजेंसी का संपर्क विवरण B1

परिशिष्ट C: विवाद समाधान विकल्पों का संक्षिप्त अवलोकन C1

परिशिष्ट D: संक्षिप्त स्कूल दिवस D1

शब्दकोष G1

A. परिचय



दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा अधिनियम (IDEA) दिव्यांग छात्रों के अधिकारों और उनके अभिभावकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए IDEA द्वारा अपनाए गए प्रमुख उपायों में से एक यह है कि अभिभावकों को अपने बच्चे के विशेष शिक्षा कार्यक्रम के विकास में सार्थक रूप से सहभागिता करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।

आपके बच्चे की शिक्षा में भाग लेने का आपका अधिकार, "प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय" कहलाने वाली IDEA की आवश्यकताओं के एक समूह द्वारा संरक्षित किया गया है। सामूहिक रूप से, ये सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास अपने बच्चे के शैक्षिक कार्यक्रमों और सेवाओं के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लेने का अधिकार है, तथा आपके बच्चे के कार्यक्रम में किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में आपको पूर्व में सूचित किया जाए। आप प्रस्तावित परिवर्तनों से सहमत नहीं हैं या अपने बच्चे के विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में कोई चिंता रखते हैं, तो आपको इन निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार है।

यह मार्गदर्शिका आपको उन अधिकारों के विषय में अवगत कराती है।

आपका बालक विशेष शिक्षा सेवाएँ प्राप्त कर रहा है, तो आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वह आपको वर्ष में कम से कम एक बार इस मार्गदर्शिका की अथवा अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नोटिस की एक प्रति उपलब्ध कराए। आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वह आपको यह सूचना आपकी मातृभाषा में अथवा आपके द्वारा प्रयुक्त संप्रेषण के अन्य किसी माध्यम में उपलब्ध कराए।

आपको निम्नलिखित परिस्थितियों में भी एक प्रति प्राप्त होनी चाहिए:

- आप अपने बालक के मूल्यांकन का अनुरोध करते हैं क्योंकि आपको यह प्रतीत होता है कि आपका बालक दिव्यांगता/अक्षमता से ग्रसित हो सकता है;
- आपका स्कूल डिस्ट्रिक आपके बालक का मूल्यांकन करना चाहता है क्योंकि उसकी दृष्टि में आपका बालक दिव्यांगता से ग्रसित हो सकता है;
- आप Colorado Department of Education (CDE) में विशिष्ट छात्र सेवा इकाई (Exceptional Student Services Unit, ESSU) के समक्ष राज्य स्तरीय शिकायत दर्ज करते हैं, और यह चालू शैक्षणिक वर्ष की आपकी प्रथम शिकायत है;
- आप ESSU के समक्ष विधिक प्रक्रिया संबंधी शिकायत दर्ज करते हैं, और यह वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पहली बार है जब आपने सुनवाई का अनुरोध किया है;
- वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान आपके बच्चे को अनुशासनात्मक कारणों से 10 दिनों या उससे अधिक अवधि के लिए स्कूल से निष्कासित किया गया है;
- आपके बच्चे को संक्षिप्त विद्यालय दिवस अनुसूची पर रखने के संबंध में चर्चा हेतु आयोजित किसी भी IEP बैठक से पूर्व; अथवा
- जब भी आप किसी प्रति की माँग करते हैं।

B. अपने बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं और विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में सूचना प्राप्त करने का आपका अधिकार

अभिभावकों की सूचनाबद्ध सहमति

आपके बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशिष्ट कदम उठाने से पूर्व, स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए आपसे लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उदाहरणस्वरूप, स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा अधोलिखित कदम उठाने से ***पहले*** आपकी लिखित अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए:

- यह पता लगाने के लिए कि क्या आपके बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है, पहली बार आपके बच्चे का मूल्यांकन करना;
- आपके बच्चे के पहले व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, जिसे IEP भी कहा जाता है में सूचीबद्ध विशेष शिक्षा सेवाएँ देना शुरू करना;
- आवश्यकताओं में परिवर्तन के आंकलन हेतु बालक का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए;
- बालक के साथ निश्चित मूल्यांकन (जैसे कि कार्यात्मक व्यवहार आकलन (Functional Behavior Assessment, FBA)) आयोजित करने के लिए;
- बालक को एक ऐसी संक्षिप्त शैक्षणिक समय-सारणी में रखने के लिए जो IEP टीम के FAPE प्रस्ताव का भाग नहीं है; एवं
- राज्य अथवा संघीय विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य को बालक से संबंधित सूचना प्रेषित करने के लिए।

कृपया ध्यान दें:
कोलोराडो में, IDEA के अंतर्गत शैक्षिक अधिकार आपके बच्चे के 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आपसे उसे हस्तांतरित हो जाते हैं।

यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट यह दर्शा सकता है कि: (1) उसने आपकी सहमति प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास किए थे और (2) आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो पुनर्मूल्यांकन के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में अभिभावकों की सूचनाबद्ध सहमति की आवश्यकता <u>नहीं</u> है:

- स्कूल डिस्ट्रिक्ट मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में छात्र की मौजूदा जानकारी की समीक्षा कर रहा है; अथवा
- स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपके बच्चे के साथ ऐसे आकलन आयोजित करता है जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से प्रशासित किए जाते हैं।

सूचित अभिभावकीय सहमति का अर्थ है कि स्कूल डिस्ट्रिक के लिए निम्नलिखित अनिवार्य है:

- आपको वह समस्त जानकारी प्रदान करना जो एक सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए आवश्यक है;
- उन गतिविधियों का विवरण देना जिन्हें संचालित करने का प्रस्ताव है और उन अभिलेखों (यदि कोई हो) की सूची देना जिन्हें अन्य पक्षों के साथ साझा किया जाएगा;
- आपको यह जानकारी आपकी मातृभाषा या संचार के किसी अन्य माध्यम में देना जिसे आप समझते हों;
- यह सुनिश्चित करना कि आप प्रस्तावित गतिविधियों को समझते हैं और उनके लिए लिखित रूप में अपनी सहमति प्रदान करते हैं;
- यह सुनिश्चित करना कि आप समझते हैं कि आप अपनी सहमति स्वेच्छा से दे रहे हैं और आप किसी भी समय अपना विचार बदल सकते हैं तथा अपनी सहमति वापस (निरस्त) ले सकते हैं; एवं
- यह सुनिश्चित करना कि आप समझते हैं कि यदि आप अपनी सहमति वापस लेते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक आपके द्वारा अनुमति देने और उसे वापस लेने के बीच की अवधि में की गई किसी भी कार्रवाई को पूर्ववत करने के लिए बाध्य नहीं है।

यदि मैं अपना मत परिवर्तित करूँ तो क्या होगा?

विशेष शिक्षा के लिए सहमति की वापसी



सहमति की वापसी का अर्थ है कि आप अपनी दी गई अनुमति को वापस लेते हैं। यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि अब आप अपने बच्चे के लिए उसके IEP में प्रस्तावित विशेष शिक्षा सेवाओं को जारी रखना नहीं चाहते हैं, तो आप किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं। **आपके लिए ऐसा लिखित रूप में करना अनिवार्य है।**

यदि आप लिखित रूप में अपनी सहमति वापस लेते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक के लिए निम्नलिखित अनिवार्य है:

- आपको लिखित रूप में यह सूचना प्रदान करना कि विशेष शिक्षा सेवाएँ समाप्त कर दी जाएँगी। इस सूचना को पूर्व लिखित सूचना (PWN) कहा जाता है, और यह इस मार्गदर्शिका के पृष्ठ 7 में वर्णित आवश्यकताओं के अनुरूप होना अनिवार्य है।
- आपके बच्चे को IEP में दी जाने वाली विशेष शिक्षा सेवाओं को प्रदान करना बंद करना।

एक बार जब स्कूल डिस्ट्रिक आपको यह पूर्व लिखित सूचना प्रदान कर देता है और विशेष शिक्षा सेवाएँ देना बंद कर देता है, तो आपके बच्चे को अब विशेष शिक्षा सेवाओं का हकदार नहीं माना जाएगा और उसे केवल एक सामान्य शिक्षा छात्र माना जाएगा। इस स्थिति में, आपके बच्चे को अभी भी दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चा माना जा सकता है जो अन्य कानूनों, जैसे कि धारा 504 और अमेरिकियों के साथ दिव्यांगता अधिनियम (Americans with Disabilities Act, ADA) द्वारा संरक्षित है।

मूल्यांकन हेतु दी गई सहमति को वापस लेना

सहमति की वापसी का अर्थ है कि आप स्कूल जिला को अपने बच्चे की विशेष शिक्षा हेतु मूल्यांकन करने के लिए दी गई अपनी अनुमति वापस लेते हैं। आप अब और यह नहीं चाहते कि आपके बच्चे का विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए मूल्यांकन किया जाए, तो आप किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं। आपके लिए ऐसा लिखित रूप में करना अनिवार्य है। **आपके लिए ऐसा लिखित रूप में करना अनिवार्य है।**

यदि आप लिखित रूप में अपनी सहमति वापस लेते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक के लिए निम्नलिखित अनिवार्य है:

- आपको लिखित रूप में सूचना प्रदान करना कि मूल्यांकन प्रक्रिया रोक दी जाएगी। इस सूचना को PWN कहा जाता है, और इसका इस मार्गदर्शिका के पृष्ठ 7 पर वर्णित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है।
- किसी भी ऐसे मूल्यांकन या आकलन को रोकना जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।



आप मूल्यांकन के लिए सहमति देने से इनकार करते हैं या सहमति वापस (निरस्त) लेते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक:

- अपने बच्चे के मूल्यांकन के अपने दायित्वों का उल्लंघन करने का दोषी नहीं माना जाएगा, जिससे स्कूल डिस्ट्रिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की आपकी क्षमता सीमित हो सकती है; एवं
- आपको या आपके बच्चे को किसी अन्य सेवा या लाभ से वंचित नहीं कर सकता है जो अन्य बच्चों के लिए उपलब्ध है।

मातृभाषा या अन्य संप्रेषण माध्यम

स्कूल डिस्ट्रिक के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आप अपने बच्चे के बारे में जानकारी समझने में सक्षम हों और विशेष शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। इसका अर्थ यह है कि आप जिन बैठकों में भाग लेते हैं, आपके बच्चे का विशेष शिक्षा हेतु मूल्यांकन, और आपको प्राप्त होने वाली सभी सूचनाएं आपकी मातृभाषा या आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार के अन्य माध्यम में लिखित या मौखिक रूप से होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि आप बधिर हैं या आपकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, तो स्कूल जिला के लिए यह अनिवार्य है कि वह IEP बैठक में सम्मिलित होने हेतु एक दुभाषिए की व्यवस्था करे। स्कूल डिस्ट्रिक के लिए अंतिम IEP का अनुवाद करना या आपकी मातृभाषा या संचार के अन्य माध्यम में IEP की मौखिक रिकॉर्डिंग प्रदान करना भी अनिवार्य है, ताकि आप यह समझ सकें कि स्कूल डिस्ट्रिक आपके बच्चे को कौन सी सेवाएँ और प्रोग्रामिंग प्रदान करने का प्रस्ताव दे रहा है और पूरे स्कूल वर्ष के दौरान इन सेवाओं का लेखा-जोखा रख सकें। यदि आपके बच्चे की पहचान एक बहुभाषी शिक्षार्थी के रूप में की गई है, तो कोलोराडो कानून यह अपेक्षा करता है कि स्कूल डिस्ट्रिक अंतिम IEP का अनुवाद करने का प्रस्ताव दे या आपकी प्रमुख भाषा में IEP की एक मौखिक अभिलेखिंग प्रदान करे। स्कूल के लिए यह भी अनिवार्य है कि वह आपको मौखिक रूप से आपके उस अधिकार के बारे में सूचित करे, जिसके अंतर्गत आप IEP के मौखिक या लिखित अनुवाद का अनुरोध कर सकते हैं।

स्कूल डिस्ट्रिक के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि आपके बच्चे का मूल्यांकन उसकी मातृभाषा या संचार के माध्यम में किया जाए, ताकि स्कूल डिस्ट्रिक को इस बारे में सटीक जानकारी मिल सके कि आपका बच्चा शैक्षिक, विकासात्मक और कार्यात्मक रूप से क्या जानता है और क्या कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि आपके बच्चे के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण और अन्य सामग्रियां आपके बच्चे की मातृभाषा या संचार के अन्य माध्यम में होनी चाहिए, जब तक कि परीक्षण प्रदान करना या संचालित करना स्पष्ट रूप से व्यवहार्य न हो।

क्या आपका बच्चा विशेष शिक्षा के लिए पात्र है?



पात्र होने का सीधा अर्थ यह है कि आपके बच्चे को कुछ विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पाई गई है, क्योंकि सीखने की उनकी क्षमता दिव्यांगता से इस तरह प्रभावित होती है कि वे इन अतिरिक्त सेवाओं के बिना सामान्य शिक्षा कक्षाओं से उचित रूप से लाभान्वित नहीं हो सकते। IDEA के अंतर्गत दिव्यांगता से ग्रस्त छात्र माने जाने के लिए, आपके बच्चे को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक दिव्यांगता के कारण विशेष शिक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। प्रत्येक विशिष्ट श्रेणी के लिए उपयोग की जाने वाली मॉडल पात्रता चेकलिस्ट को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी के बारे में अतिरिक्त जानकारी आप परिशिष्ट A में प्राप्त कर सकते हैं।

- **ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर** ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **श्रवण बाधिता, जिसमें बधिरता भी सिम्मलित है**श्रवण बाधिता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें, जिसमें बधिरता भी सिम्मलित है;
- **गंभीर भावनात्मक दिव्यांगता**गंभीर भावनात्मक दिव्यांगता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **बौद्धिक दिव्यांगता** बौद्धिक दिव्यांगता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **बहु-दिव्यांगता** बहु-दिव्यांगता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **अस्थि संबंधी विकार** अस्थि संबंधी विकार के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार** अन्य स्वास्थ्य विकारों के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **विशिष्ट अधिगम अक्षमता** विशिष्ट अधिगम अक्षमता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **वाक् या भाषा बाधिता** वाक् या भाषा बाधिता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **अभिघातज मिस्तष्क चोट** मिस्तष्क आघात के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **दृष्टि बाधिता, जिसमें अंधत्व भी शामिल है** दृष्टि बाधिता, जिसमें अंधता भी सिम्मलित है, के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें;
- **बधिर-अंधता** बधिर-अंधता के लिए पात्रता जाँच-सूची देखें; या
- **विकासात्मक विलंब** विकासात्मक विलंब के लिए पात्रता जाँच-सूची देखें।

स्कूल डिस्ट्रिक्ट से अपने बच्चे के मूल्यांकन का अनुरोध करें



यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को कोई ऐसी दिव्यांगता हो सकती है जो उनकी शिक्षा को प्रभावित कर रही है, तो आप स्कूल डिस्ट्रिक से अपने बच्चे का मूल्यांकन करने का अनुरोध कर सकते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे विशेष शिक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं या नहीं। यदि आप मूल्यांकन का अनुरोध करते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह या तो मूल्यांकन संचालित करने के लिए आपकी अनुमति मांगे या आपको सूचित करे कि वह मूल्यांकन संचालित नहीं करेगा। दोनों ही स्थितियों में, स्कूल डिस्ट्रिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह आपके अनुरोध के बाद उचित समय के भीतर आपको पूर्व लिखित सूचना प्रदान करके अपने निर्णय के बारे में सूचित करे। आप पूर्व लिखित सूचना के बारे में पृष्ठ संख्या 7 पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यदि स्टाफ सदस्यों को लगता है कि आपके बच्चे को विशेष शिक्षा की आवश्यकता हो सकती है, तो स्कूल डिस्ट्रिक आपके बच्चे का मूल्यांकन करने की अनुमति के लिए आपसे किसी भी समय पूछ सकता है। स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा आपकी लिखित अनुमति (सूचित सहमति) प्राप्त करने के बाद, उसे 60 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रारंभिक (पहला) मूल्यांकन पूरा करना होगा, जब तक कि आप इनकार नहीं करते या अपने बच्चे को परीक्षण के लिए उपलब्ध कराने में बार-बार विफल नहीं होते या स्कूल डिस्ट्रिक नहीं बदलते।

राज्य के प्रतिपाल्य बच्चे के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन



IDEA द्वारा परिभाषित राज्य का प्रतिपाल्य, वह बच्चा है जो:

- राज्य के कानून के तहत राज्य का प्रतिपाल्य माना जाता है, या
- एक सार्वजजिक बाल कल्याण एजेंसी की अभिरक्षा में है।

राज्य के प्रतिपाल्य में वह पालक बच्चा शामिल नहीं है, जिसके पास ऐसा पालक माता-पिता है जो माता-पिता की ECEA परिभाषा को पूरा करता है।

यदि अभिभावकों के अधिकार समाप्त नहीं किए गए हैं और अदालत ने किसी शैक्षिक सरोगेट की नियुक्ति नहीं की है, तो स्कूल डिस्ट्रिक को पालक अभिभावक पर सहमति प्रदान करने के लिए निर्भर होने या किसी ESP की नियुक्ति करने से पूर्व अभिभावक तक पहुँचने के लिए युक्तिसंगत प्रयास करने अनिवार्य होंगे।

यदि कोई बच्चा राज्य का प्रतिपाल्य है तथा वह अपने अभिभावक के साथ निवास नहीं कर रहा है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में यह निर्धारित करने हेतु प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए कि क्या वह बालक दिव्यांगता से युक्त है, स्कूल डिस्ट्रिक को अभिभावक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी:

- युक्तिसंगत प्रयासों के पश्चात भी स्कूल डिस्ट्रिक बालक के अभिभावक का पता लगाने में असमर्थ हो;
- अभिभावकों के अधिकार समाप्त (निरस्त) कर दिए गए हों; या
- शैक्षिक निर्णय लेने के अभिभावकीय अधिकार किसी न्यायाधीश द्वारा चयनित अन्य व्यक्ति को, जो बालक का प्रतिनिधित्व करता हो, हस्तांतरित कर दिए गए हों, तथा वह व्यक्ति प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए अनुमति (सूचित सहमति) प्रदान करता हो।

शैक्षिक सरोगेट अभिभावक क्या है?

एक शैक्षिक सरोगेट अभिभावक (educational surrogate parent, ESP) वह व्यक्ति होता है जो विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने और उन्हें प्राप्त करने से संबंधित सभी मामलों में दिव्यांगता वाले बच्चे का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक न्यायाधीश या स्कूल डिस्ट्रिक निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति के होने पर एक ESP नियुक्त कर सकता है:

- अभिभावक की पहचान नहीं की जा सकती;
- युक्तिसंगत प्रयासों के पश्चात भी स्कूल डिस्ट्रिक अभिभावक का पता लगाने में असमर्थ हो;
- बच्चा एक अकेला बेघर युवा है; या
- बच्चा राज्य का प्रतिपाल्य है।

इसके अतिरिक्त, एक अदालत किसी छात्र के लिए शैक्षिक निर्णय लेने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को उस छात्र के ESP के रूप में नियुक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक अदालत गार्जियन एड लिटम (Guardian Ad Litem), युवा के लिए वकील (Counsel for Youth), पालक माता-पिता (Foster parent), या अन्य परिजनों को नियुक्त कर सकती है।

यदि मैं स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा किए गए मूल्यांकन से सहमत नहीं हूँ तो क्या होगा?



स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन (Independent Educational Evaluations, IEE)

एक अभिभावक के रूप में, आपके पास यह अनुरोध करने का अधिकार है कि स्कूल डिस्ट्रिक आपके बच्चे के लिए एक स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन (IEE) का भुगतान करे, जिसमें आपके द्वारा पहले से भुगतान किए गए निजी मूल्यांकन के लिए आपको प्रतिपूर्ति देना भी शामिल हो सकता है। आपके पास किसी भी समय अपने बच्चे के लिए एक IEE निर्धारित करने और उसका भुगतान करने का अधिकार भी है। IEP टीम को आपके द्वारा अपने बच्चे के बारे में प्रदान की गई जानकारी पर विचार करना चाहिए, जिसमें एक IEE भी शामिल है, चाहे उसका भुगतान किसी ने भी किया हो।

IEE का उद्देश्य एक स्वतंत्र निजी मूल्यांकनकर्ता से आपके बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जिस पर IEP टीम को आपके बच्चे के शैक्षिक कार्यक्रम को विकसित करते समय विचार करना चाहिए। जो IEE आयोजित करता है, वह आपके बच्चे के स्कूल डिस्ट्रिक के लिए काम नहीं कर सकता है।

स्कूल डिस्ट्रिक एक IEE के लिए भुगतान केवल तभी करेगा जब वह आपके बच्चे का अपना मूल्यांकन पहले ही कर चुका हो, और आप उस मूल्यांकन के परिणामों से सहमत न हों। प्रत्येक बार जब स्कूल डिस्ट्रिक आपके बच्चे का मूल्यांकन करता है और आप डिस्ट्रिक के मूल्यांकन परिणामों से असहमत होते हैं, तो आपके पास स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा भुगतान किए जाने वाले एक (1) IEE का अधिकार होता है।

एक बार जब आप अपने बच्चे के स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा किए गए मूल्यांकन से असहमत होते हैं और IEE की मांग करते हैं, तो आपके स्कूल डिस्ट्रिक को — बिना किसी अनावश्यक देरी के — निम्नलिखित में से एक कार्य करना चाहिए:



- आपको बताना चाहिए कि आप स्वयं अपने बच्चे का IEE कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और आपको उन मानदंडों के बारे में सूचित करना चाहिए जो स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा इसके भुगतान के लिए आवश्यक हैं; या
- सुनवाई का अनुरोध करने के लिए CDE के साथ एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करें (पृष्ठ 19 देखें) चाहिए क्योंकि स्कूल डिस्ट्रिक को लगता है कि आपके बच्चे का उसका अपना मूल्यांकन उपयुक्त था और वह IEE के लिए आपके अनुरोध से असहमत है।

यदि आप IEE का अनुरोध करते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक को आपको IEE प्राप्त करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए या उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करनी चाहिए। वह केवल अनुरोध की अनदेखी नहीं कर सकता या उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज किए बिना IEE के लिए भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता।

यदि आप अपने बच्चे के लिए IEE का अनुरोध करते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक आपसे पूछ सकता है कि आप जिला द्वारा किए गए मूल्यांकन से क्यों असहमत हैं (यानी, आपके IEE चाहने के कारण), लेकिन जब तक आप स्वयं न चाहें, आपको इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल डिस्ट्रिक IEE प्रदान करने की शर्त के रूप में आपसे यह समझाने की मांग नहीं कर सकता कि आप मूल्यांकन से क्यों असहमत हैं। यद्यपि आपको लिखित रूप में IEE का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके अनुरोध का एक अभिलेख रखना सहायक होता है।

स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन (IEE) के मानदंड

वे ही मानदंड जो स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा आयोजित मूल्यांकन पर लागू होते हैं, स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन (IEE) पर भी लागू होते हैं। इसका अर्थ यह है कि स्कूल डिस्ट्रिक IEE के लिए उन मानदंडों से भिन्न मानदंडों का उपयोग नहीं कर सकता है जिनका उपयोग वह अपने स्वयं के विशेष शिक्षा मूल्यांकन के लिए करता है, जैसे कि मूल्यांकन करने वाले पेशेवरों का अनुभव और योग्यता।

स्कूल डिस्ट्रिक को उस IEE की पूरी लागत का भुगतान करना होगा जो स्कूल डिस्ट्रिक के मानदंडों को पूरा करती है। स्कूल डिस्ट्रिक IEE पर लागत सीमा या कैप लगा सकता है, लेकिन इस सीमा का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो IEE प्राप्त करने की आपकी क्षमता को बाधित करे। इस स्थिति में, स्कूल डिस्ट्रिक को आपको उन परिस्थितियों की व्याख्या करने का अवसर देना चाहिए जो निर्धारित सीमा से अधिक जाने को उचित ठहराती हैं।

IEE अनुरोध के संभावित परिणाम

एक बार जब आपके बच्चे का ऐसा IEE संपन्न हो जाता है जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट के मापदंडों को पूरा करता है, चाहे उसका भुगतान किसी ने भी किया हो, IEP टीम के लिए आपके बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं को निर्धारित करने हेतु उस मूल्यांकन के परिणामों पर विचार करना अनिवार्य है, जिसमें पात्रता और यह भी शामिल है कि वह आपके बच्चे को किस प्रकार एक निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा (Free Appropriate Public Education, FAPE) प्रदान करेगी।

स्कूल डिस्ट्रिक्ट के मूल्यांकन से असहमत होने के उपरांत, आप अनुरोध करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एक स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन (IEE) का व्यय वहन करे। जब आप IEE का अनुरोध करते हैं, तो निम्नलिखित विभिन्न परिणाम सामने आ सकते हैं:

A. डिस्ट्रिक्ट आपके अनुरोध को स्वीकार करता है और आपको IEE की व्यवस्था करने के तरीके के बारे में सूचित करता है।
   - स्कूल डिस्ट्रिक्ट IEE का व्यय वहन करता है।

B. आप पहले ही एक IEE प्राप्त कर चुके हैं। आप चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इस व्यय का वहन करे। डिस्ट्रिक मूल्यांकन के मानदंडों को स्वीकार करता है, जिसमें मूल्यांकनकर्ता की योग्यता भी शामिल है।
   - डिस्ट्रिक आपको उस राशि का भुगतान वापस करता है जो आपने IEE पर खर्च की थी।

C. डिस्ट्रिक मानता है कि IEE की आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रिक यह समझाने के लिए उचित प्रक्रिया सुनवाई की मांग करता है कि आपके बच्चे का उसका अपना मूल्यांकन क्यों उपयुक्त था।
   - यदि प्रशासनिक कानून न्यायाधीश (Administrative Law Judge, ALJ) यह निर्णय लेता है कि डिस्ट्रिक का मूल्यांकन उपयुक्त है, तो आप अभी भी अपने बच्चे के लिए IEE की व्यवस्था कर सकते हैं और इसका भुगतान स्वयं कर सकते हैं।
   - यदि ALJ यह निर्णय देता है कि जनपद का मूल्यांकन यथोचित नहीं है, तो ALJ जनपद को आपके पाल्य के IEE की लागत का भुगतान करने हेतु आदेशित कर सकता है।

D. आप पहले ही एक IEE प्राप्त कर चुके हैं। डिस्ट्रिक यह दिखाने के लिए उचित प्रक्रिया सुनवाई की मांग करता है कि उसका मूल्यांकन उपयुक्त था या IEE जिला के मानदंडों को पूरा नहीं करता था।

स्कूल डिस्ट्रिक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज किए बिना IEE के लिए भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता।

- यदि ALJ यह निर्णय लेता है कि आपके द्वारा व्यवस्थित की गई IEE उपयुक्त थी, तो ALJ डिस्ट्रिक को आपकी IEE की लागत का भुगतान करने का आदेश देगा।
- यदि प्रशासनिक कानून न्यायाधीश (ALJ) यह निर्णय लेता है कि आपके द्वारा व्यवस्थित किया गया मूल्यांकन उपयुक्त नहीं है, तो ALJ डिस्ट्रिक को आपकी IEE की लागत का भुगतान करने का आदेश नहीं देगा। हालाँकि, स्कूल डिस्ट्रिक को आपके द्वारा, एक अभिभावक के रूप में, प्रदान की जा रही जानकारी पर अभी भी विचार करना चाहिए।

पूर्व लिखित सूचना



स्कूल डिस्ट्रिक के लिए यह आवश्यक है कि वह कुछ निश्चित कार्यवाहियों को प्रस्तावित करने या उनसे इनकार करने से पहले, एक उचित समय के भीतर आपको लिखित में सूचना (जिसे पूर्व लिखित सूचना या PWN कहा जाता है) प्रदान करे। इन कार्यवाहियों में आपके बच्चे की पहचान, मूल्यांकन या शैक्षिक प्लेसमेंट (शैक्षिक सेवाएँ जो आपके बच्चे को मिल रही हैं) को शुरू करना या बदलना, अथवा आपके बच्चे को निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) प्रदान करना शामिल है।

पूर्व लिखित सूचना की विषय-वस्तु

एक PWN को पर्याप्त विवरण प्रदान करना चाहिए ताकि आप अपने बच्चे की शैक्षिक सेवाओं के बारे में निर्णयों में एक सूचित तरीके से भाग ले सकें। इसका अर्थ यह है कि PWN को आपको पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि स्कूल जिला क्या करना चाहता है (या करने से मना करता है) और क्यों।

पूर्व लिखित सूचना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- प्रस्तावित या अस्वीकार की गई कार्यवाही का विवरण;
- इस बात की व्याख्या कि स्कूल डिस्ट्रिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव क्यों दे रहा है या क्यों मना कर रहा है;
- प्रत्येक मूल्यांकन प्रक्रिया, असेसमेंट, अभिलेख या रिपोर्ट का विवरण जिसका उपयोग स्कूल ने अपना निर्णय लेने के लिए किया था;
- IEP टीम द्वारा विचार किए गए अन्य विकल्पों का विवरण और उन कारणों का विवरण कि उन विकल्पों को क्यों खारिज कर दिया गया था;
- डिस्ट्रिक के प्रस्ताव या इनकार से संबंधित अन्य कारकों का विवरण;



- एक बयान कि को IDEA के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के तहत संरक्षण प्राप्त है और वे तरीके जिनसे अभिभावक सुरक्षा उपायों के नोटिस की प्रति प्राप्त कर सकते हैं (यदि यह मूल्यांकन के लिए प्रारंभिक रेफरल नहीं है); तथा
- अभिभावकों के लिए IDEA की आवश्यकताओं को समझने में सहायता हेतु संपर्क करने के स्रोत।

बोधगम्य भाषा में पूर्व लिखित सूचना

पूर्व लिखित सूचना आम जनता के लिए समझने योग्य भाषा में लिखी जानी चाहिए और आपकी मातृभाषा या संचार के अन्य माध्यमों में लिखी जानी चाहिए, जब तक कि ऐसा करना स्पष्ट रूप से व्यावहारिक न हो। सांकेतिक भाषा, ब्रेल, मौखिक, और संवर्धित एवं वैकल्पिक संचार (Augmentative and Alternative Communication, AAC) संचार के अन्य माध्यमों के उदाहरण हैं। यदि आपकी मातृभाषा या संचार का अन्य माध्यम लिखित भाषा ***नहीं*** है, तो स्कूल डिस्ट्रिक को आपकी मातृभाषा या संचार के अन्य माध्यम में मौखिक रूप से सूचना प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जानकारी को समझते हैं। इस स्थिति में, स्कूल डिस्ट्रिक को यह प्रमाणित करना होगा कि उसने इन आवश्यकताओं को पूरा किया है।

स्कूल डिस्ट्रिक कभी-कभी आपके बच्चे के वार्षिक IEP में ही पूर्व लिखित सूचना को शामिल या अंतर्निहित कर देते हैं। संघीय कानून के तहत, स्कूल डिस्ट्रिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह IEP का आपकी मातृभाषा या संचार के अन्य माध्यम में अनुवाद करे, जब तक कि ऐसा करना स्पष्ट रूप से व्यावहारिक न हो। कोलोराडो कानून के तहत, यदि आपके बच्चे की पहचान एक बहुभाषी भाषा सीखने वाले के रूप में की जाती है, तो स्कूल डिस्ट्रिक को आपसे पूछना चाहिए कि क्या आप लिखित या मौखिक अनुवाद चाहेंगे।

नियमित प्रगति निगरानी रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार

अपने पाल्य के IEP लक्ष्यों के संबंध में हो रही प्रगति से अवगत होने का अधिकार आपके पास सुरक्षित है। आपके बच्चे के IEP में यह विवरण होना चाहिए कि IEP लक्ष्यों पर प्रगति को कैसे मापा जाएगा और आपको यह बताया जाना चाहिए कि आप अपने बच्चे के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति पर नियमित रिपोर्ट कब प्राप्त करेंगे। आपके बच्चे के IEP की वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए और उसे संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आपके बच्चे ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं। यदि आपका बच्चा अपने IEP लक्ष्यों की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर रहा है, तो उसके IEP की समीक्षा पहले (निर्धारित समय से पूर्व) करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा अपेक्षित प्रगति नहीं कर रहा है या आपका बच्चा वार्षिक समीक्षा से पहले ही अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेता है, तो आप अपने बच्चे के IEP की समीक्षा और संशोधन करने के लिए IEP बैठक का अनुरोध कर सकते हैं।

शैक्षिक अभिलेख

अभिलेखों तक पहुंच का अधिकार

आपको अपने बच्चे के शैक्षिक अभिलेखों का अवलोकन करने का अधिकार है। परिवार शैक्षिक अधिकार और गोपनीयता अधिनियम (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) एक संघीय कानून है जो अभिभावक को अपने बच्चे के शैक्षिक अभिलेख का निरीक्षण और समीक्षा करने के कुछ निश्चित अधिकार देता है। FERPA के तहत अधिकार आपसे, यानी अभिभावक से, आपके बच्चे को तब हस्तांतरित हो जाते हैं जब वे 18 वर्ष के हो जाते हैं या उत्तर-माध्यमिक स्कूल (जैसे, कॉलेज या विश्वविद्यालय) में पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो भी पहले हो। कोलोराडो में, IDEA के तहत शैक्षिक अधिकार आपसे आपके बच्चे को 21 वर्ष की आयु में हस्तांतरित हो जाते हैं।

शैक्षिक अभिलेख क्या हैं?

FERPA के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने हेतु, जानकारी का शैक्षिक अभिलेख के रूप में माना जाना आवश्यक है। FERPA शैक्षिक अभिलेख को इस प्रकार परिभाषित करता है:

1. वे अभिलेख जो सीधे एक विशिष्ट छात्र से संबंधित होते हैं। कभी-कभी स्कूल डिस्ट्रिक इसे व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (Personally Identifiable Information, PII) कहते हैं; और
2. वे अभिलेख जो एक शिक्षा एजेंसी या संस्थान (उदाहरण के लिए, आपका स्कूल डिस्ट्रिक) द्वारा या उस एजेंसी के लिए काम करने वाले किसी पक्ष द्वारा रखे जाते हैं।



अभिलेख का अर्थ किसी भी तरीके से दर्ज की गई कोई भी जानकारी है, जिसमें हस्तलेखन, प्रिंट, कंप्यूटर मीडिया, वीडियो या ऑडियो टेप, फिल्म, माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिश शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

छात्रों के शैक्षिक अभिलेख गोपनीय होते हैं, यानी वे **निजी** होते हैं। स्कूल जिले को आपके बच्चे के अभिलेख को एकत्र करने, संग्रहीत करने, जारी करने या नष्ट करने के दौरान उनकी गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। स्कूलों को उन सभी व्यक्तियों का अभिलेख रखना चाहिए जिन्होंने आपके बच्चे के अभिलेख तक पहुँच प्राप्त की है (अभिभावक और स्कूल के अधिकृत कर्मचारियों को छोड़कर), जिसमें उस व्यक्ति का नाम, पहुँच दिए जाने की तिथि और वह उद्देश्य शामिल है जिसके लिए उस व्यक्ति को अभिलेख देखने हेतु अधिकृत किया गया था।

शैक्षिक अभिलेखों में अन्य छात्रों (आपके बच्चे को छोड़कर) से संबंधित अभिलेख या स्कूल के कर्मचारियों के कार्मिक अभिलेख शामिल नहीं होते हैं।

व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) में निम्नलिखित शामिल हैं:

- छात्र का नाम;
- छात्र के अभिभावक या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम;
- छात्र या छात्र के परिवार का पता;
- छात्र का सामाजिक सुरक्षा नंबर, छात्र संख्या या बायोमेट्रिक अभिलेख;
- छात्र की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का कुलनाम, अथवा उसकी नस्ल या जातीयता;
- ऐसी अन्य सूचनाएं, जो एकाकी अथवा सम्मिलित रूप से, स्कूल समुदाय के किसी भी तर्कसंगत व्यक्ति को पूर्ण निश्चितता के साथ छात्र की पहचान सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती हों;
- ऐसी किसी व्यक्ति द्वारा वांछित जानकारी जिसके विषय में स्कूल डिस्ट्रिक को यह युक्तिसंगत विश्वास हो कि वह उस छात्र की पहचान से पूर्व-परिचित है जिससे वह अभिलेख संबंधित है; अथवा
- FERPA द्वारा निर्धारित अन्य दृष्टांत।

अपने बच्चे के अभिलेख की समीक्षा करने का आपका अधिकार

स्कूल डिस्ट्रिक को आपको अपने बच्चे के उन शैक्षिक रिकॉर्डों का निरीक्षण और समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए जो डिस्ट्रिक द्वारा एकत्र किए जाते हैं, संधारित किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं। आपको यह अधिकार भी प्राप्त है कि आप अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति (जैसे कि मित्र, अधिवक्ता, या वकील) को आपके बच्चे के अभिलेखों का निरीक्षण एवं पुनरावलोकन करने हेतु अधिकृत कर सकें।

स्कूल डिस्ट्रिक को बिना किसी अनावश्यक देरी के और किसी भी IEP टीम मीटिंग या किसी भी विधिक प्रक्रिया सुनवाई या समाधान बैठक से पहले, जिसमें आप शामिल हैं, आपके बच्चे के अभिलेखों की समीक्षा करने के आपके अनुरोध का पालन करना चाहिए। इसमें किसी भी IEP बैठक या ऐसी सुनवाई को सम्मिलित किया जाता है, जो अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा अथवा अनुशासन संबंधी कार्यवाही से संबंधित हो। स्कूल डिस्ट्रिक आपके अनुरोध की तिथि से अधिकतम 45 कैलेंडर दिनों के भीतर आपको अपने बच्चे के अभिलेख देखने की अनुमति देने के लिए बाध्य है, यदि IEP बैठक या सुनवाई की तैयारी हेतु आवश्यक हो, तो यह अनुमति इससे पूर्व दी जानी अनिवार्य है।

स्कूल डिस्ट्रिक आपको आपके बच्चे के अभिलेख की प्रति उपलब्ध करा सकता है; तथापि, यदि प्रति उपलब्ध न कराने की स्थिति में आप अभिलेख की समीक्षा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं, तो जिला ऐसी प्रति प्रदान करने हेतु बाध्य है। स्कूल डिस्ट्रिक अभिलेख की प्रति हेतु शुल्क ले सकता है; तथापि, यदि शुल्क अधिरोपित करने से आप अपने बच्चे के अभिलेख की समीक्षा करने के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित होते हैं, तो डिस्ट्रिक ऐसा शुल्क नहीं ले सकता। **यदि आपका बच्चा निःशुल्क या रियायती दोपहर के भोजन हेतु पात्र है, तो आपको अपने बच्चे के अभिलेख तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।**



स्कूल डिस्ट्रिक यह धारणा बना सकता है कि आपके पास अपने बच्चे के अभिलेख के निरीक्षण और समीक्षा का प्राधिकार है; जब तक कि डिस्ट्रिक प्रशासन को यह सूचित न किया गया हो कि राज्य के कानून के तहत संरक्षण, अलगाव या विवाह-विच्छेद के कारण आपके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है।

आपके बच्चे के शैक्षिक अभिलेख में संशोधन हेतु अनुरोध करने का आपका अधिकार

यदि आपका यह विश्वास है कि आपके बालक के शैक्षिक अभिलेख में कोई सूचना त्रुटिपूर्ण है, भ्रामक है, अथवा वह बालक की निजता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो आपको स्कूल डिस्ट्रिक से उस अभिलेख में संशोधन करने हेतु अनुरोध करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। स्कूल डिस्ट्रिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह आपके द्वारा अनुरोधित संशोधनों के संबंध में एक उचित समयावधि के भीतर निर्णय ले। यदि स्कूल डिस्ट्रिक आपके द्वारा अनुरोधित अनुसार बालक के शैक्षिक अभिलेख में संशोधन करने से इनकार करता है, तो उसे आपको इस विषय पर चर्चा करने हेतु सुनवाई का अधिकार प्रदान करना अनिवार्य है।

सुनवाई के पश्चात, निम्नलिखित दो परिणाम संभव हैं:

- स्कूल डिस्ट्रिक इस बात से सहमत होता है कि सूचना त्रुटिपूर्ण, भ्रामक है अथवा विद्यार्थी की निजता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन करती है, और आपके बच्चे के शैक्षिक रिकॉर्ड में संशोधन करता है। डिस्ट्रिक के लिए इन परिवर्तनों की सूचना आपको लिखित रूप में देना अनिवार्य है।
- स्कूल डिस्ट्रिक इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि जानकारी त्रुटिपूर्ण, भ्रामक है, अथवा छात्र की गोपनीयता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन करती है, और वह शिक्षा अभिलेख में परिवर्तन न करने का निर्णय ले सकता है। ऐसी स्थिति में, स्कूल डिस्ट्रिक आपको इस अधिकार के संबंध में सूचित करेगा कि आप अपने बच्चे के अभिलेख में उस जानकारी पर टिप्पणी करते हुए या डिस्ट्रिक के निर्णय से अपनी असहमति के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य सम्मिलित कर सकते हैं। यह वक्तव्य आपके बच्चे के अभिलेख का हिस्सा तब तक बना रहेगा, जब तक स्कूल डिस्ट्रिक आपके बच्चे के शिक्षा अभिलेख के उस भाग को सुरक्षित रखता है जिसमें वह जानकारी सम्मिलित है जिससे आप असहमत हैं। जब भी स्कूल डिस्ट्रिक उक्त जानकारी किसी अन्य पक्ष के साथ साझा करेगा, आपका वक्तव्य भी उसके साथ सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा।

शैक्षिक अभिलेखों को साझा किया जाना

शैक्षिक अभिलेखों में निहित व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य सूचनाओं का प्रकटीकरण सामान्यतः अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। तथापि, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, स्कूल डिस्ट्रिक को यह सूचनाएँ अन्य अधिकृत अधिकारियों या संस्थाओं के साथ साझा करने की अनुमति प्राप्त है। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कि स्कूल डिस्ट्रिक को अभिलेख साझा करने हेतु आपकी लिखित अनुमति की आवश्यकता कब नहीं होती, U.S. Department of Education की वेबसाइट (www.ed.gov) पर जा सकते हैं, वहाँ सर्च बॉक्स में FERPA लिखें और अभिभावकों के लिए मार्गदर्शन देखें, या छात्र गोपनीयता की सुरक्षा पर U.S. Department of Education की आधारित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (https://studentprivacy.ed.gov/frequently-asked-questions) देखें।

C. विवाद समाधान के माध्यम से अपने बच्चे के विशेष शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित निर्णयों को चुनौती देने का आपका अधिकार

यदि आप बालक को प्रदान की जा रही विशेष शिक्षा सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो सर्वप्रथम यह परामर्श दिया जाता है कि आप संबंधित विशेष शिक्षा शिक्षक अथवा विशेष शिक्षा निदेशक से संपर्क स्थापित कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएँ। स्कूल के कर्मचारियों को अपनी चिंताओं के कारणों से अवगत कराएँ और उन संभावित विकल्पों या उपायों का सुझाव दें जो आपके अनुसार समस्या के निराकरण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अपनी समस्याओं पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विचार-विमर्श करना जो बालक की स्थिति से परिचित हो, जैसे कि विशेष शिक्षा शिक्षक अथवा विशेष शिक्षा निदेशक समस्या के निराकरण हेतु प्रायः सबसे तीव्र एवं सुलभ मार्ग सिद्ध होता है। यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि आपके बच्चे के स्कूल डिस्ट्रिक के लिए विशेष शिक्षा निदेशक कौन हैं, तो कृपया सहायता के लिए CDE से संपर्क करें।



इसके अतिरिक्त, आपके बच्चे की विशेष शिक्षा सेवाओं से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए IDEA के अंतर्गत तीन विकल्प उपलब्ध हैं: मध्यस्थता, राज्य स्तरीय शिकायत, और उचित प्रक्रिया शिकायत। इन प्रक्रियाओं के संक्षिप्त विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट C देखे। CDE इनमें से प्रत्येक विकल्प के बारे में आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, लेकिन CDE विधिक सलाह प्रदान नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि CDE के कर्मचारी आपको यह नहीं बता सकते कि कोई स्कूल डिस्ट्रिक IDEA का पालन कर रहा है या नहीं, और न ही वे आपको यह सलाह दे सकते हैं कि इन तीन विकल्पों में से आपको किसका चयन करना चाहिए। यदि आपको जानकारी, वकालत या विधिक सलाह की आवश्यकता है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं:

संघीय-वित्त पोषित अभिभावक प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र

IDEA के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अभिभावक प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र अवश्य हो। अभिभावक केंद्र अभिभावक, दिव्यांग व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों को IDEA के अंतर्गत उनके अधिकारों और अन्य संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कोलोराडो में, अभिभावक केंद्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

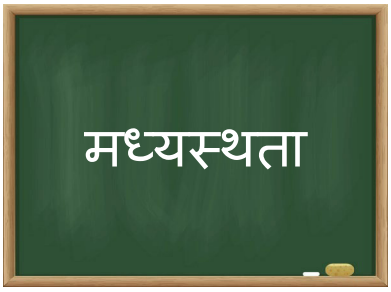
PEAK Parent Center: PEAK Parent Center एक गैर-लाभकारी संस्था है जो यह सुनिश्चित करने के लिए हर दिन काम करती है कि दिव्यांग सभी व्यक्ति अपने पड़ोस के स्कूलों, समुदायों, रोजगार और जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शामिल हों। PEAK कोलोराडो और उसके बाहर दिव्यांग बच्चों के परिवारों और स्व-अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क और कम लागत वाली कई सेवाएँ प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए आप PEAK की वेबसाइट पर जा सकते हैं (https://www.peakparent.org/) या उनसे 719-531-9400 पर संपर्क कर सकते हैं।

Show and Tell Corporation: Show and Tell एक 501(c)(3) अभिभावक-प्रेरित संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी, तथा यह THRIVE Center की सहोदरा संस्था है, जिसे पूर्व में Denver Metro Community Parent Resource Center के नाम से जाना जाता था। Show and Tell जन्म से लेकर छब्बीस वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों के परिवारों, तथा दिव्यांग और विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं वाले युवाओं की वकालत करता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करें और अपने स्कूल एवं समुदायों के योगदान देने वाले सदस्य बनने का प्रयास करें। Show and Tell का मुख्य ध्यान वंचित BIPOC (अश्वेत, स्वदेशी और रंगीन लोग) परिवारों के साथ संबंध बनाने और उन्हें उन उपकरणों से जोड़ने पर है, जो उनके बच्चों को आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए ज़रूरी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप Show and Tell की वेबसाइट पर जा सकते हैं (https://weshowandtell.org) या उनसे 303-632-6840 पर संपर्क कर सकते हैं।

CDE अपनी वेबसाइट पर अभिभावक संसाधनों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, जिसमें संघीय रूप से नामित अभिभावक प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र शामिल हैं। 0

Disability Law Colorado: Disability Law Colorado राज्य की नामित संरक्षण एवं पक्षसमर्थन प्रणाली है। Disability Law Colorado एक गैर-लाभकारी संगठन है जो दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें प्रत्यक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व, जाँच, प्रशिक्षण और शिक्षा, सूचना एवं रेफरल, और विधायी विश्लेषण एवं वकालत शामिल हैं। Disability Law Colorado व्यक्तियों को राज्य और संघीय वित्त पोषित सेवाएँ प्राप्त करने में भी सहायता करता है, जैसे कि विशेष शिक्षा। अधिक जानकारी के लिए Disability Law Colorado की वेबसाइट (https://disabilitylawco.org/) देखें या उनसे 1-800– 288-1376 या 303-722-0300 पर संपर्क करें।

मध्यस्थता



मध्यस्थता, अभिभावक और स्कूल के कर्मचारियों को एक पेशेवर मध्यस्थ की सहायता से अपनी विशेष शिक्षा संबंधी चिंताओं/असहमति पर चर्चा करने और उन्हें सुलझाने का अवसर प्रदान करती है। मध्यस्थ किसी का पक्ष नहीं लेता है और न ही वह अभिभावक या स्कूल डिस्ट्रिक के लिए कार्य करता है अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करता है। मध्यस्थ आपके पाल्य की विशेष शिक्षा सेवाओं के विषय में उत्पन्न विवाद के निवारण हेतु आपको कोई निर्देशात्मक समाधान प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके विपरीत, मध्यस्थ आपको और स्कूल डिस्ट्रिक को अपनी चिंताओं पर चर्चा करने और मिलकर समाधान खोजने में सहायता प्रदान करता है।

मध्यस्थता की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है तथा इसके हेतु किसी भी समय आवेदन अथवा याचना की जा सकती है।

मध्यस्थता हेतु किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है तथा इन सेवाओं के लिए आपके अथवा स्कूल डिस्ट्रिक के ऊपर कोई वित्तीय दायित्व या प्रभार देय नहीं होगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया पूर्णतः स्वैच्छिक है; अतः इसमें सम्मिलित होने हेतु आपके तथा स्कूल डिस्ट्रिक के मध्य परस्पर सहमति का होना एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थता हेतु असहमति व्यक्त की जाती है, तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकती।

परस्पर सहमति की स्थिति में, CDE द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी, जो मध्यस्थता की रूपरेखा एवं समय सारिणी निर्धारित करने हेतु 1-2 कार्य दिवसों के भीतर आपसे संपर्क स्थापित करेगा। मध्यस्थता की समय-सारिणी एक नियत अवधि के भीतर निर्धारित की जानी अनिवार्य है, तथा इसका आयोजन अभिभावक एवं डिस्ट्रिक के लिए परस्पर सुविधाजनक स्थान पर किया जाना चाहिए। सामान्यतः, दोनों पक्षों द्वारा मध्यस्थता के लिए सहमत होने के दिन से 30 दिनों के भीतर मध्यस्थता का समय निर्धारित किया जाता है।



मध्यस्थ:

- विशेष शिक्षा के ज्ञान से संपन्न एक योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी मध्यस्थ होता है;
- उसे चक्रीय आधार पर नियुक्त किया जाता है;
- वह किसी का पक्ष नहीं लेता है और न ही आपके लिए या स्कूल डिस्ट्रिक के लिए कार्य करता है;
- उसे निर्णय लेने की अनुमति नहीं है। इसके बजाय, मध्यस्थ आपको और स्कूल डिस्ट्रिक को
- असहमति का समाधान खोजने की दिशा में कार्य करने में सहायता करता है;
- लिखित समझौता पत्र तैयार करने के लिए आपके और स्कूल डिस्ट्रिक के साथ मिलकर कार्य करता है;
- मध्यस्थता बैठक को निर्धारित दिशा में बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि हर कोई प्रक्रिया और एक-दूसरे के प्रति सम्मानजनक बना रहे;
- सभी का ध्यान छात्र और छात्र की आवश्यकताओं पर केंद्रित रखता है; तथा
- उसे राज्य की शिकायत या उचित प्रक्रिया सुनवाई में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।

आप मध्यस्थता का अनुरोध कैसे करते हैं?

मध्यस्थता का अनुरोध निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता है:

- ☐ Colorado Department of Education (CDE), वैकल्पिक विवाद समाधान समन्वयक से फोन या ईमेल के माध्यम से संपर्क करके। संपर्क जानकारी के लिए CDE Mediation वेबपेज का अवलोकन करें (https://www.cde.state.co.us/spedlaw/mediation) अथवा
- ☐ CDE Dispute Resolution वेबसाइट पर उपलब्ध पूर्ण रूप से भरे हुए Request for Mediation form (मध्यस्थता हेतु अनुरोध प्रपत्र) (http://www.cde.state.co.us/spedlaw/modelmediationrequestform) को फैक्स या डाक द्वारा भेजकर।

हस्ताक्षरित लिखित करार एवं गोपनीयता

मध्यस्थ आपको और स्कूल डिस्ट्रिक को आपके समझौते को लिखित रूप देने में सहायता करेगा। इसे लागू करने योग्य बनाने के लिए, इस लिखित समझौते पर आपके और स्कूल डिस्ट्रिक के अधिकृत प्रतिनिधि दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि आप अदालती आदेश के माध्यम से शैक्षिक निर्णय लेने की शक्ति साझा करते हैं, तो दोनों माता-पिता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध होने चाहिए। यह लिखित समझौता एक बाध्यकारी अनुबंध है। इसका अर्थ है कि आपको और स्कूल डिस्ट्रिक दोनों को समझौते की शर्तों का पालन करना होगा। एक लिखित, हस्ताक्षरित मध्यस्थता समझौता राज्य या संघीय अदालत में प्रवर्तनीय/लागू करने योग्य है। आपके लिखित समझौते में इस बात से संबंधित अतिरिक्त भाषा/शर्तें शामिल हो सकती हैं कि समझौते को कैसे लागू किया जाए। मध्यस्थता में होने वाली चर्चाएँ निजी होती हैं और यदि उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज की जाती है, तो इन्हें साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

मध्यस्थता में अधिवक्ताओं की सहभागिता

यदि आप किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहे हैं, तो आप अपने वकील को मध्यस्थता में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। हालाँकि मध्यस्थता स्वयं निःशुल्क है, लेकिन अपने वकील के उपस्थित होने के खर्च के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। स्कूल डिस्ट्रिक भी अपने वकील को मध्यस्थता में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। समाधान बैठक के विपरीत, स्कूल डिस्ट्रिक अपने अधिवक्ता को मध्यस्थता में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकता है, भले ही आपके पास अधिवक्ता न हो। चूँकि मध्यस्थता स्वैच्छिक है, यदि स्कूल डिस्ट्रिक मध्यस्थता में अपने वकील को शामिल करता है, तो आप मध्यस्थता न करने का विकल्प चुन सकते हैं। मध्यस्थता के प्रतिभागियों के संबंध में आपकी किसी भी चिंता पर आपको नियुक्त मध्यस्थ के साथ चर्चा करनी चाहिए।

मध्यस्थता प्रक्रिया का अवलोकन

मध्यस्थता के लिए अनुरोध

आप या स्कूल डिस्ट्रिक किसी भी समय CDE से मध्यस्थता का अनुरोध कर सकते हैं। राज्य स्तरीय शिकायत प्रक्रिया के दौरान या उचित प्रक्रिया सुनवाई के अनुरोध के पश्चात भी किसी भी समय मध्यस्थता का अनुरोध किया जा सकता है। मध्यस्थता हेतु आप और स्कूल डिस्ट्रिक दोनों की सहमति होना अनिवार्य है।

समय-निर्धारण मध्यस्थता

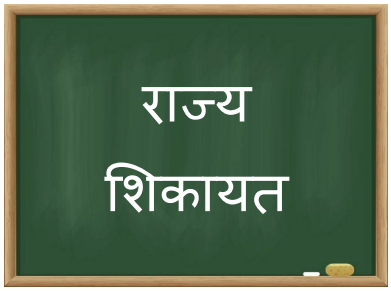
मध्यस्थ एक तटस्थ तृतीय-पक्ष होता है। नियुक्त किए जाने के उपरांत, मध्यस्थ बैठक निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु 1-2 कार्यदिवसों के भीतर पक्षकारों से संपर्क करेगा। मध्यस्थ के शुल्क का भुगतान CDE द्वारा किया जाता है।

मध्यस्थता बैठक
आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपनी चिंताओं को साझा करते हैं। मध्यस्थ पक्षों को स्वीकार्य समाधानों की दिशा में कार्य करने और समझौते को लिखित रूप में (समझौता ज्ञापन) तैयार करने में सहायता करता है। सामान्यतः, मध्यस्थता के दौरान कही गई किसी भी बात को बैठक के बाहर साझा नहीं किया जा सकता है और न ही भविष्य की कानूनी कार्यवाहियों में उसका उपयोग किया जा सकता है, जब तक कि कोई अपवाद लागू न हो।

लिखित समझौता संपन्न
लिखित समझौता बाध्यकारी है और इस पर अभिभावक तथा स्कूल डिस्ट्रिक्ट दोनों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बाध्यकारी समझौते का अर्थ है कि दोनों पक्षों को समझौते का पालन करना होगा और अदालत इसे लागू करवा सकता है।

समझौता न होने की स्थिति
यदि मध्यस्थता में कोई समझौता नहीं होता है, तो छात्र के लिए सेवाएँ यथावत रहेंगी। यदि आप राज्य स्तरीय शिकायत प्रक्रिया में सम्मिलित हैं, तो राज्य शिकायत अधिकारी (SCO) अपनी जाँच जारी रखेंगे। यदि आप उचित प्रक्रिया सुनवाई में सम्मिलित हैं, तो पक्षकार प्रशासनिक कानून न्यायाधीश (ALJ) के समक्ष सुनवाई की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे।

राज्य स्तरीय शिकायत दर्ज करना



आप अपनी चिंताओं की जाँच का अनुरोध CDE के समक्ष लिखित राज्य शिकायत दायर करके भी कर सकते हैं। राज्य शिकायत एक लिखित और हस्ताक्षरित बयान है जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि कोई सार्वजनिक एजेंसी (जैसे: स्कूल जिला, सहकारी शैक्षिक सेवा बोर्ड (BOCES), राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रम या Colorado Department of Education (CDE)) निम्नलिखित कानूनों का पालन नहीं कर रही है: दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम (IDEA), विशिष्ट बालक शिक्षा अधिनियम (ECEA), या प्रतिबंध एवं एकांतवास से व्यक्तियों का संरक्षण अधिनियम (PPRA)। कोई भी संस्था अथवा व्यक्ति, चाहे वह अन्य राज्य से संबद्ध हो, लिखित राज्य शिकायत दर्ज करने हेतु अधिकृत है। राज्य शिकायत प्रक्रिया उचित प्रक्रिया सुनवाई की तुलना में कम विवादास्पद (या टकरावपूर्ण) होती है।

कथित विशेष शिक्षा उल्लंघन के *एक (1) वर्ष* के भीतर किसी भी समय CDE के पास राज्य स्तरीय शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज किए जाने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय पहले हुए कथित उल्लंघनों की जाँच या समाधान नहीं किया जाएगा।

CDE राज्य शिकायत प्रक्रिया के माध्यम से किन विषयों की जाँच कर सकता है?

CDE, IDEA के भाग-B के अंतर्गत किसी भी आवश्यकता के कथित उल्लंघनों की जाँच कर सकता है, जैसे कि विशेष शिक्षा पात्रता और सेवाओं से संबंधित सरोकार। CDE व्यक्तियों का नियंत्रण से संरक्षण अधिनियम (PPRA) के अंतर्गत नियंत्रण या एकांतवास से संबंधित चिंताओं की भी जाँच कर सकता है।

CDE उन चिंताओं की भी जाँच कर सकता है जहाँ किसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने राज्य स्तरीय या उचित प्रक्रिया शिकायत निर्णय के माध्यम से आदेशित गतिविधियों को पूर्ण नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति जिसे यह सरोकार हो कि CDE ने IDEA के भाग-B के अंतर्गत किसी आवश्यकता का उल्लंघन किया है, वह CDE के विरुद्ध राज्य स्तरीय शिकायत दर्ज कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए, राज्य शिकायत वेबपेज पर जाएँ (http://www.cde.state.co.us/spedlaw/statecomplaint)।

CDE पुनर्वास अधिनियम, 1973 की धारा 504 के कथित उल्लंघनों, अथवा अक्षमता/दिव्यांगता के आधार पर उत्पीड़न, प्रतिशोध, भेदभावपूर्ण व्यवहार या प्रतिकूल वातावरण से संबंधित आरोपों की जाँच नहीं कर सकता है। इन सरोकारों के लिए, कृपया नागरिक अधिकार कार्यालय (https://www.hhs.gov/ocr/index.html) से संपर्क करें।

राज्य स्तरीय शिकायत में आपको कौन सी जानकारी शामिल करनी चाहिए?



आपकी शिकायत में स्कूल डिस्ट्रिक के उन कार्यों या निष्क्रियता का विवरण शामिल होना चाहिए, जिनके बारे में आपका मानना है कि उन्होंने IDEA या ECEA के अंतर्गत संघीय या राज्य की विशेष शिक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है। शिकायत में किसी विशिष्ट कानून के नाम या उद्धरण को शामिल करना आवश्यक नहीं है, परंतु इसमें विशिष्ट समस्या का विवरण और उन तथ्यों का समावेश होना चाहिए जो यह स्पष्ट करें कि आपको ऐसा क्यों/कैसे लगता है कि स्कूल डिस्ट्रिक विशेष शिक्षा संबंधी आवश्यकता का पालन नहीं कर रहा है। CDE का आदर्श राज्य शिकायत (http://www.cde.state.co.us/spedlaw/modelstatecomplaintform) आपको यह और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सहायता हेतु उदाहरण उपलब्ध कराता है। आपके लिए इस फॉर्म का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। आपको अपने रिकॉर्ड के लिए सबमिट की गई शिकायत की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए।

राज्य शिकायत में सम्मिलित किए जाने हेतु अनिवार्य मदों/सूचनाओं की जाँच-सूची

- ☐ शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क जानकारी;
- ☐ यदि उल्लंघन किसी विशिष्ट छात्र से संबंधित हैं, तो संबंधित बच्चे का नाम एवं पता, तथा उस स्कूल का नाम जहाँ बच्चा अध्ययनरत है;
- ☐ यदि बच्चा बेघर है, तो बच्चे के लिए उपलब्ध संपर्क जानकारी तथा उस स्कूल का नाम जहाँ बच्चा अध्ययनरत है;
- ☐ एक या अधिक आरोप (समस्याएँ/चिंताएँ) कि स्कूल IDEA, ECEA, और/या PPRA का अनुपालन नहीं कर रहा है। समस्याएँ/चिंताएँ उस तिथि से एक वर्ष से अधिक पूर्व की नहीं होनी चाहिए, जिस तिथि को शिकायत CDE द्वारा प्राप्त की जाती है;
- ☐ प्रत्येक समस्या/चिंता के समर्थन में तथ्य और/अथवा घटनाओं का विवरण;
- ☐ समस्या के प्रस्तावित समाधान अथवा आपकी चिंताओं के निवारण हेतु अनुरोधित उपचारात्मक उपाय (जहाँ तक शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति को ज्ञात एवं उपलब्ध हो); तथा
- ☐ शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर।

आप अपनी राज्य स्तरीय शिकायत के साथ अतिरिक्त दस्तावेज़ (जैसे कि IEPs, पूर्व लिखित सूचनाएं या ईमेल) प्रदान कर सकते हैं; हालाँकि, यह दस्तावेज़ीकरण अनिवार्य नहीं है और CDE द्वारा यह तय करते समय इस पर विचार नहीं किया जाएगा कि शिकायत को जाँच के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं। IEPs, पूर्व लिखित सूचनाएं, ईमेल आदि की समीक्षा CDE द्वारा राज्य स्तरीय शिकायत को जाँच के लिए स्वीकार किए जाने के बाद ही की जाएगी।

राज्य स्तरीय शिकायत कैसे दर्ज करें?

यदि आप अपने बालक के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं के संबंध में राज्य स्तरीय शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित करना होगा:

- ☐ यह सुनिश्चित करें कि आपकी शिकायत में उपर्युक्त जाँच-सूची में वर्णित सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित है।
- ☐ अपनी शिकायत इस पते पर भेजें:

  State Complaints Officer
  Colorado Department of Education, Exceptional Student Services Unit
  201 E. Colfax Ave., Room 402
  Denver, CO 80203

- ☐ यदि आप किसी सार्वजनिक संस्था के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर रहे हैं, तो आपको अपनी शिकायत की एक प्रति विशेष शिक्षा निदेशक को भी भेजनी होगी।

आप CDE की वेबसाइट पर उपलब्ध राज्य स्तरीय शिकायत प्रपत्र (https://www.cde.state.co.us/spedlaw/statecomplaint) को प्रिंट करके भर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इस प्रपत्र का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है।

राज्य स्तरीय शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती है।

राज्य स्तरीय शिकायत प्रक्रिया

जब CDE को उचित रूप से दर्ज की गई राज्य स्तरीय शिकायत प्राप्त होती है, तो विशेष शिक्षा आवश्यकताओं के कथित उल्लंघन(नों) की जाँच के लिए एक राज्य शिकायत अधिकारी (SCO) नियुक्त किया जाएगा। SCO को जाँच पूरी करनी होगी और 60 कैलेंडर दिनों के भीतर शिकायत के समाधान हेतु एक लिखित निर्णय प्रदान करना होगा। राज्य स्तरीय शिकायत प्रक्रिया के भाग के रूप में, SCO निम्नलिखित कार्य करेगा:

- आपको और स्कूल डिस्ट्रिक दोनों को उन आरोपों के बारे में लिखित रूप में सूचित करना जिनकी जाँच की जाएगी;
- शिकायत को सुलझाने के एक वैकल्पिक तरीके के रूप में आपको और स्कूल डिस्ट्रिक दोनों को मध्यस्थता का प्रस्ताव देना;
- यदि आवश्यक हो, तो आरोपों के बारे में जानने और उन्हें सुलझाने के लिए आपसे और अधिक जानकारी मांगना;
- आपके और स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त दस्तावेज़ों और जानकारी की समीक्षा करना, साक्षात्कार लेना और यदि आवश्यक हो, तो आपके बालक के स्कूल का दौरा करना;
- स्कूल डिस्ट्रिक को आपकी शिकायत पर प्रतिक्रिया देने और समाधान का प्रस्ताव देने का अवसर देना; और
- आपको स्कूल डिस्ट्रिक को उत्तर देने और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का अवसर देना।

SCO आपसे और स्कूल डिस्ट्रिक दोनों से जानकारी मांगेगा क्योंकि CDE यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है कि स्कूल डिस्ट्रिक ने कानून का उल्लंघन किया है या नहीं। यह उचित प्रक्रिया शिकायत से अलग है, जहाँ शिकायत दर्ज करने वाले पक्ष पर ही प्रमाण का बोझ होता है।

जजाँच पूरी करने के बाद, SCO जाँच के लिए स्वीकार किए गए प्रत्येक आरोप पर एक लिखित निर्णय प्रदान करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उल्लंघन हुआ है या नहीं। यह निर्णय आपको राज्य स्तरीय शिकायत दर्ज होने की तारीख से 60 कैलेंडर दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। निर्णय में तथ्यों के निष्कर्ष, कानून के निष्कर्ष, और अंतिम निर्णय के कारण शामिल होंगे।



समय-सीमा का विस्तार

यदि समय-सीमा का विस्तार किया जाता है, तो CDE के पास शिकायत को सुलझाने और निर्णय जारी करने के लिए 60 दिनों से अधिक का समय हो सकता है। 60-दिनों की समय-सीमा का विस्तार केवल तभी किया जा सकता है जब:

- आप और स्कूल डिस्ट्रिक इसके लिए सहमत हों ताकि आप दोनों मध्यस्थता या वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी अन्य माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकें; या
- असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद हों (जिनका निर्धारण SCO द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाएगा)।

अनुचित दायरकरण

यदि SCO यह निर्धारित करता है कि आपने राज्य शिकायत उचित रूप से दर्ज नहीं की है क्योंकि आपने सभी आवश्यक जानकारी शामिल नहीं की थी, या यदि CDE के पास शिकायत की जाँच करने का प्राधिकार नहीं है, तो SCO आपको एक पत्र भेजेगा जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि: SCO आपकी शिकायत की जाँच के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस निर्णय का कारण क्या है, और यदि लागू हो, तो नई शिकायत में आपको कौन सी जानकारी शामिल करने की आवश्यकता होगी। यदि आपने अपनी शिकायत में ऐसे मुद्दे शामिल किए हैं जिन्हें सुलझाने का अधिकार CDE के पास नहीं है, तो वह आपको आवश्यकतानुसार उन मुद्दों के समाधान के लिए उचित संसाधनों के बारे में सूचित करेगा।

शिकायत को दोबारा जमा करना

यदि आप अतिरिक्त या नई जानकारी के साथ शिकायत पुनः दायर करते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित स्थिति या घटना के घटित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर CDE और स्कूल डिस्ट्रिक उसे प्राप्त कर लें।

यदि आपके पास अतिरिक्त जानकारी या ऐसी चिंताएँ हैं जिन्हें आपने अपनी प्रारंभिक शिकायत में सम्मिलित नहीं किया था, तो आप एक संशोधित शिकायत भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप संशोधित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं, भले ही CDE आपकी प्रारंभिक शिकायत के संबंध में पहले ही जाँच प्रारंभ कर चुका हो। यदि आप जाँच प्रारंभ होने के तुरंत पश्चात् संशोधित शिकायत प्रस्तुत करते हैं, तो SCO आपकी अतिरिक्त चिंताओं को उसी जाँच में सम्मिलित करने में सक्षम हो सकता है। यदि अत्यधिक समय व्यतीत हो चुका है, तो SCO आपकी अतिरिक्त चिंताओं के समाधान हेतु एक नई जाँच प्रारंभ कर सकता है।

स्थगन

स्थगन से अभिप्राय राज्य शिकायत में उठाए गए मुद्दों को अस्थायी रूप से रोक कर रखना है। यदि आप और स्कूल डिस्ट्रिक विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई में सम्मिलित हैं, और आप या डिस्ट्रिक उन्हीं मुद्दों पर राज्य शिकायत भी दायर करते हैं, तो SCO राज्य शिकायत को अस्थायी रूप से लंबित (स्थगन में) रखेगा। इसका अर्थ है कि CDE आपकी राज्य शिकायत के समाधान से पूर्व विधिसम्मत प्रक्रिया की समाप्ति की प्रतीक्षा करेगा। यही प्रक्रिया तब भी लागू होगी जब आप राज्य शिकायत में सम्मिलित हों और आप या स्कूल डिस्ट्रिक उन्हीं मुद्दों पर विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करें। यदि आप अपनी विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध वापस ले लेते हैं, तो CDE राज्य शिकायत को स्थगनावस्था से बाहर निकालकर आपकी शिकायत की जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। यदि विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत में ऐसे मुद्दे/चिंताएँ सम्मिलित हैं जिन पर प्रशासनिक विधि न्यायाधीश (ALJ) निर्णय देने के लिए अधिकृत नहीं है, तो उन मुद्दों के संबंध में राज्य शिकायत की जाँच जारी रहेगी।

यदि विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई संपन्न होती है और प्रशासनिक विधि न्यायाधीश (ALJ) द्वारा निर्णय दिया जाता है, तो CDE राज्य शिकायत को स्थगनावस्था से बाहर निकालकर उसका समाधान केवल उसी सीमा तक करेगा, जहाँ आपकी शिकायत में ऐसे मुद्दे शेष हों जिनका निर्णय सुनवाई प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया गया था।

यदि राज्य शिकायत में उठाया गया कोई मुद्दा पूर्व में उन्हीं पक्षकारों (आप और स्कूल डिस्ट्रिक) के मध्य संपन्न विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई में निर्णयित किया जा चुका है, तो उस मुद्दे पर विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई का निर्णय बाध्यकारी (अंतिम) होगा, और CDE को आपको सूचित करना होगा कि वह निर्णय बाध्यकारी है।

सुधारात्मक कार्रवाई

यदि SCO यह निर्धारित करता है कि स्कूल डिस्ट्रिक ने विशेष शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है, तो राज्य शिकायत निर्णय में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है जिन्हें स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा उल्लंघनों के सुधार हेतु किया जाना आवश्यक होगा (सुधारात्मक कार्रवाई)। इसमें प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास, नीति, प्रक्रिया, एवं व्यवहार में परिवर्तन, अथवा विशेष शिक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अन्य गतिविधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं। ऐसे मामलों में, जहाँ यह निष्कर्ष निकलता है कि स्कूल डिस्ट्रिक उपयुक्त सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहा, SCO को केवल व्यक्तिगत बच्चे या बच्चों के समूह तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि डिस्ट्रिक के सभी IDEA-पात्र विद्यार्थियों हेतु भविष्य में सेवाओं की उपलब्धता को भी संबोधित करना होगा। इसमें प्रतिपूरक सेवाएँ, अतिरिक्त मूल्यांकन, और/अथवा आपके बच्चे से संबंधित IEP बैठक, साथ ही अन्य बच्चों हेतु उपयुक्त उपचारात्मक उपाय, जैसे अभिलेख समीक्षा, सम्मिलित हो सकते हैं।

राज्य स्तर की शिकायत प्रक्रिया: मुख्य चरण

शिकायत दर्ज करना

- शिकायत कथित उल्लंघन (समस्या/चिंता) के एक (1) वर्ष के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।
- अभिभावक मूल प्रति Colorado Department of Education को और एक प्रति स्कूल डिस्ट्रिक्ट को उपलब्ध कराएंगे।
- शिकायत में सहायक तथ्यों के साथ विशेष शिक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन का अभिकथन होना चाहिए।

CDE राज्य शिकायत अधिकारी (SCO) द्वारा शिकायत की समीक्षा

- यदि शिकायत विधिवत है, तो SCO शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति तथा स्कूल डिस्ट्रिक को एक प्राप्ति-पुष्टि पत्र प्रेषित करता है।

  अथवा
- यदि शिकायत समुचित रूप से दायर नहीं की गई है, अथवा CDE के पास उसका समाधान करने का अधिकार नहीं है, तो SCO एक अपर्याप्तता पत्र प्रेषित करता है।

जाँच एवं समाधान

- SCO सभी दस्तावेजों की समीक्षा करता है तथा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण/सूचना का अनुरोध करता है।
- SCO आवश्यकता अनुसार उपयुक्त व्यक्तियों का साक्षात्कार करता है।

SCO द्वारा अभिभावक एवं स्कूल डिस्ट्रिक को निर्णय जारी किया जाता है

- SCO प्रत्येक आरोप के संबंध में निर्धारण करता है तथा यह निर्णय देता है कि विशेष शिक्षा संबंधी उल्लंघन हुआ है या नहीं।
- यदि SCO एक या अधिक उल्लंघन पाता है, तो डिस्ट्रिक द्वारा उल्लंघित प्रत्येक विशेष शिक्षा आवश्यकता के संबंध में SCO सुधारात्मक कार्रवाइयाँ जारी करता है।

राज्य शिकायत निर्णय की अपील

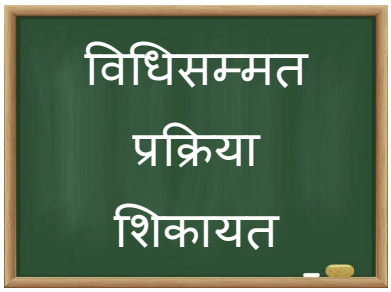
राज्य शिकायत अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तथापि, यदि किसी पक्षकार को अपनी चिंताओं के संबंध में विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करने का अधिकार प्राप्त है, तो वह राज्य शिकायत में जाँचे गए उन्हीं विषयों के संबंध में विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत फिर भी दायर कर सकता है। उदाहरणार्थ, विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत केवल अभिभावक या स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा छात्र की पहचान, मूल्यांकन, FAPE के प्रावधान, शैक्षिक नियुक्ति, अथवा अनुशासन से संबंधित विषयों पर दायर की जा सकती है। किसी पक्षकार द्वारा कार्मिक योग्यता, नियंत्रणात्मक उपायों के उपयोग, अथवा अभिलेखों तक पहुँच के संबंध में विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर नहीं की जा सकती।

यदि कोई स्कूल डिस्ट्रिक उन्हीं मुद्दों के संबंध में विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करता है, जिन पर अभिभावक को राज्य शिकायत निर्णय उनके पक्ष में प्राप्त हुआ था, तो अभिभावक विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई में अपने प्रतिनिधित्व हेतु अधिवक्ता नियुक्त कराने के लिए रूपांतरणकारी न्याय परियोजन (https://tjpcolorado.org/our-programs) से संपर्क कर सकते हैं। रूपांतरणकारी न्याय परियोजन योग्य अधिवक्ताओं की एक सूची बनाए रखेगा तथा उन्हें क्रमिक आधार पर नियुक्त करेगा। पात्र अभिभावक को प्रतिनिधित्व बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाएगा।



विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत

आप अपने बच्चे की विशेष शिक्षा सेवाओं से संबंधित चिंताओं/समस्याओं के समाधान हेतु सुनवाई का अनुरोध करने के लिए विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करके भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उचित प्रक्रिया शिकायत CDE के पास किसी सार्वजनिक निकाय के विरुद्ध दर्ज की जाती है (जैसे: स्कूल डिस्ट्रिक, सहकारी सेवा बोर्ड (BOCES), राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रम, या राज्य शिक्षा एजेंसी (जो इस मामले में Colorado Department of Education स्वयं है))। सीमित परिस्थितियों में स्कूल डिस्ट्रिक भी अभिभावक के विरुद्ध विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर कर सकता है।



शिकायत दायर करने के कारण

आपके बच्चे की विशेष शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्पन्न चिंताओं/समस्याओं के संबंध में विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर की जा सकती है :

- पहचान;
- मूल्यांकन;
- शैक्षिक नियुक्ति; या
- निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) का प्रावधान।

विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत में यह आरोप होना अनिवार्य है कि संघीय (IDEA) अथवा राज्य (ECEA) विशेष शिक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन किया गया है, तथा इसे उस तिथि से *दो वर्ष* के भीतर दायर किया जाना चाहिए, जब शिकायतकर्ता (अभिभावक या शिकायत दायर करने वाली लोक शिक्षा एजेंसी) को कथित विशेष शिक्षा उल्लंघन केबारे में जानकारी हुई थी या युक्तिसंगत रूप से हो जानी चाहिए थी। विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई एक औपचारिक कार्यवाही है, जिसमें प्रशासनिक अदालत कार्यालय (OAC) द्वारा नियुक्त प्रशासनिक विधि न्यायाधीश (ALJ) विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत केसमाधान हेतु सुनवाई संचालित करता है।

विधिसममत परकिरया शिकायत में कौन-सी जानकारी सिममलित की जानी अनिवायर है?

CDE एक ऐसा फॉमर् उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करने हेतु किया जा सकता है(http://www.cde.state.co.us/spedlaw/modeldueprocesscomplaintform)। यह फॉमर अनिवायर नहीं है, किनतु विधिसममत परकिरया शिकायत दायर करते समय आपको (या शिकायत [illegible] वाली लोक अभिकरण को) निम्नलिखित आवश्यक जानकारी फिर भी सम्मिलित करनी होगी:



- ☐ छात्र का नाम एवं निवास का पता;
- ☐ उस स्कूल का नाम जहाँ आपका बच्चा अध्ययनरत है;
- ☐ यदि आपका बच्चा बेघर है, तो आपके बच्चे के लिए उपलब्ध संपर्क जानकारी तथा उस स्कूल का नाम जहाँ आपका बच्चा अध्ययनरत है;
- ☐ आपके बच्चे से संबंधित विशिष्ट समस्या का विवरण, साथ ही उस समस्या से संबंधित तथ्य; तथा
- ☐ समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित विचार या सुझाव (जहाँ तक वे आपको ज्ञात हों)।

विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत में वही विस्तृत जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए जो राज्य शिकायत में अपेक्षित होती है (पृष्ठ 15 देखें); तथापि, मूल हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत CDE तथा स्कूल डिस्ट्रिक, दोनों को भेजी जानी चाहिए। आपको अपने अभिलेखों हेतु प्रस्तुत शिकायत की एक प्रति भी सुरक्षित रखनी चाहिए।

जब आप (या स्कूल डिस्ट्रिक) विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक पर यह दायित्व है कि वह आपको किसी भी निःशुल्क या कम-लागत वाली विधिक संसाधनों की जानकारी प्रदान करे।

आप विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत कैसे दायर करते हैं?

- ☐ यह सुनिश्चित करें कि आपकी शिकायत में उपर्युक्त जाँच-सूची में वर्णित सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित है।
- ☐ अपनी शिकायत उस लोक अभिकरण के विशेष शिक्षा निदेशक को भेजें जिसके विरुद्ध आप शिकायत दायर कर रहे हैं। इसे स्कूल डिस्ट्रिक को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा, फैक्स द्वारा, अथवा ईमेल के माध्यम से पहुँचाया जा सकता है।
- ☐ अपनी शिकायत की एक प्रति CDE को डाक, फैक्स, अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें (CDE वर्तमान में ईमेल द्वारा शिकायतें स्वीकार नहीं करता)।

  Dispute Resolution Office
  Colorado Department of Education, Exceptional Student Services Unit
  201 E. Colfax Ave., Room 402
  Denver, CO 80203
  Fax: 303-866-6767

आप CDE वेबसाइट पर उपलब्ध विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत फॉर्म (http://www.cde.state.co.us/spedlaw/dueprocess) को मुद्रित कर पूर्ण कर सकते हैं, किन्तु इस फॉर्म का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है।

विधिसम्मत प्रक्रिया की समय-सीमाएँ एवं प्रक्रिया

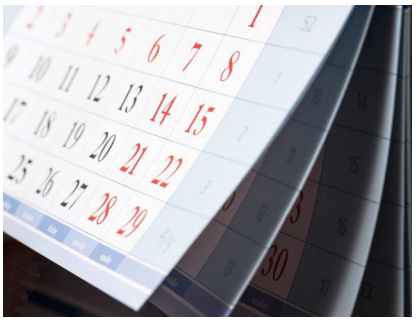
शिकायत का प्रत्युत्तर

यदि आप विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक को शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 10 कैलेंडर दिवसों के भीतर आपकी शिकायत का उत्तर देना अनिवार्य है। स्कूल डिस्ट्रिक को आपको यह उत्तर प्रेषित करना अनिवार्य है, जब तक कि वह आपकी शिकायत के विषय-वस्तु के संबंध में आपको पूर्व लिखित सूचना पहले ही प्रेषित न कर चुका हो।

डिस्ट्रिक्ट के उत्तर में निम्नलिखित जानकारी का होना अनिवार्य है:

- इस बात का स्पष्टीकरण कि डिस्ट्रिक ने वह कार्रवाई क्यों की, अथवा वह कार्रवाई करने से क्यों इंकार किया, जिसे आपने अपनी शिकायत में उठाया है;
- आपके बच्चे के लिए IEP दल द्वारा विचार किए गए अन्य विकल्पों का विवरण तथा उन विकल्पों को अस्वीकार करने के कारण;
- प्रत्येक मूल्यांकन, अभिलेख, आकलन, अथवा प्रतिवेदन का विवरण जिसका उपयोग जिले ने कार्रवाई करने या उसे अस्वीकार करने के निर्णय हेतु किया; तथा
- डिस्ट्रिक के कार्रवाई करने या उसे अस्वीकार करने के निर्णय से संबंधित अन्य प्रासंगिक कारकों का विवरण।

स्कूल डिस्ट्रिक को आपको उपलब्ध निःशुल्क या कम-लागत वाली विधिक सहायता तथा अन्य प्रासंगिक सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।



सीमित परिस्थितियों में स्कूल डिस्ट्रिक अभिभावक के रूप में आपके विरुद्ध शिकायत दायर कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि आप एक स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन का अनुरोध करते हैं, तो उसके प्रत्युत्तर में स्कूल डिस्ट्रिक विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करने का विकल्प चुन सकता है।

यदि अभिभावक के रूप में आपके विरुद्ध विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर की जाती है, तो आपको शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 10 कैलेंडर दिवसों के भीतर उसका उत्तर देना अनिवार्य है। आपके उत्तर में विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत में उठाए गए मुद्दों का विशिष्ट रूप से समाधान किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्कूल डिस्ट्रिक पर समाधान बैठक आयोजित करने का दायित्व नहीं होगा।

यदि स्कूल डिस्ट्रिक उन्हीं मुद्दों के संबंध में विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करता है, जिन पर आपको राज्य शिकायत निर्णय आपके पक्ष में प्राप्त हुआ था,
तो आप विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई में अपने प्रतिनिधित्व हेतु अधिवक्ता नियुक्त कराने के लिए रूपांतरणकारी न्याय परियोजना (https://tjpcolorado.org/our-programs) से संपर्क कर सकते हैं। TJP योग्य अधिवक्ताओं की एक सूची बनाए रखता है तथा उनका नियुक्तिकरण क्रमिक आधार पर करता है। पात्र अभिभावक को प्रतिनिधित्व बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाएगा।

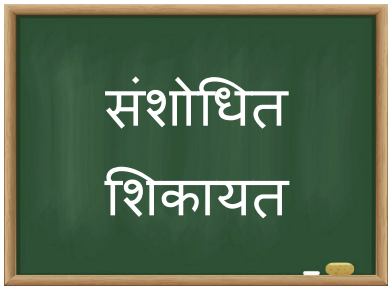
आप रूपांतरणकारी न्याय परियोजना (https://tjpcolorado.org/our-programs) की संपर्क जानकारी विवाद समाधान वेबसाइट तथा परिशिष्ट B में प्राप्त कर सकते हैं।

उचित प्रक्रिया शिकायत की पर्याप्तता

विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत को पर्याप्त माना जाएगा (अर्थात् यह कि वह विधिवत दायर की गई है तथा उसमें सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित है), जब तक कि अन्य पक्ष ALJ तथा शिकायत दायर करने वाले पक्ष, दोनों को यह सूचित न कर दे कि शिकायत दायरकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण *नहीं* करती है। विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत की पर्याप्तता को चुनौती देने वाले पक्ष को शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवसों के भीतर ऐसा लिखित रूप में करना अनिवार्य है।

अपर्याप्तता संबंधी सूचना प्राप्त होने की तिथि से ALJ के पास यह निर्धारित करने हेतु 5 कैलेंडर दिवस होते हैं कि आपकी विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत, विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है या नहीं। ALJ को लिखित रूप में पर्याप्तता के संबंध में अपने निर्णय के बारे में आपको और स्कूल डिस्ट्रिक्ट को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है।

संशोधित शिकायत



यदि ALJ यह निर्णय देता है कि आपकी विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत अपर्याप्त है, तो आपके पास निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करने का अधिकार है:

- एक नई विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत पुनः दायर करें, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित हो; अथवा
- मूल विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत में संशोधन (अद्यतन या परिवर्तन) करें।

संशोधित शिकायत केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही दायर की जा सकती है:

- यदि अन्य पक्ष संशोधित विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत से लिखित रूप में सहमत हो तथा उसे समाधान बैठक (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) के माध्यम से शिकायत का समाधान करने का अवसर प्रदान किया गया हो; अथवा
- यदि आप ALJ से संशोधित शिकायत दायर करने की अनुमति का अनुरोध करें। ALJ ऐसी अनुमति विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई प्रारंभ होने से अधिकतम 5 दिवस पूर्व तक प्रदान कर सकता है, परंतु उसके पश्चात नहीं।

यदि आप अपनी विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत में विधिवत संशोधन करते हैं, तो एक नई 30-दिवसीय समाधान अवधि प्रारंभ होगी।

आपकी शिकायत में संशोधन करने से उसकी मूल दायरकरण तिथि परिवर्तित नहीं होती; अतः शिकायत में वे सभी समस्याएँ सम्मिलित रह सकती हैं जिनके बारे में आपको शिकायत दायर करने से पूर्व के दो वर्षों के भीतर जानकारी थी या युक्तिसंगत रूप से होनी चाहिए थी। यदि आप एक नई विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत पुनः दायर करते हैं, तो इससे शिकायत की दायरकरण तिथि परिवर्तित हो जाती है। पुनः दायर की गई शिकायत में केवल वही समस्याएँ या चिंताएँ सम्मिलित की जा सकती हैं जिनके बारे में आपको पुनः दायर करने से पूर्व के दो वर्षों के भीतर जानकारी थी या युक्तिसंगत रूप से होनी चाहिए थी।

विधिसम्मत प्रक्रिया समाधान बैठक

समाधान अवधि

समाधान अवधि आपको सुनवाई निर्धारित होने से पूर्व अपनी चिंताओं के समाधान हेतु समय और अवसर दोनों प्रदान करती है। समाधान अवधि विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर किए जाने की तिथि (या शिकायत के विधिवत संशोधित किए जाने की तिथि)

के पश्चात् प्रारंभिक 30 दिनों के दौरान होती है। यदि आप विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करते हैं, किन्तु तत्पश्चात समाधान प्रक्रिया में भाग लेने में विफल रहते हैं, तो इससे सुनवाई में विलंब होगा।

यदि 30-दिवसीय समाधान अवधि समाप्त होने तक स्कूल डिस्ट्रिक आपकी संतुष्टि के अनुसार विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत का समाधान नहीं करता है, तो विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई आगे बढ़ सकती है, जब तक कि आप और डिस्ट्रिक 30 दिनों से आगे बढ़ने वाली मध्यस्थता पर सहमत न हों। यदि आप और डिस्ट्रिक लिखित रूप में इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि किसी समझौते की संभावना नहीं है, तो समाधान अवधि समयपूर्व समाप्त हो सकती है। समाधान अवधि समाप्त होने के पश्चात् ALJ के पास सुनवाई आयोजित करने तथा लिखित निर्णय जारी करने हेतु 45 कैलेंडर दिवस होते हैं।

समाधान बैठक



स्कूल डिस्ट्रिक को विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत प्राप्त होने के प्रथम 15 कैलेंडर दिवसों के भीतर समाधान बैठक निर्धारित कर आयोजित करना अनिवार्य है। यदि स्कूल डिस्ट्रिक 15 कैलेंडर दिवसों के भीतर समाधान बैठक आयोजित नहीं करता या समाधान बैठक में भाग नहीं लेता, तो आप ALJ से 45-दिवसीय विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई समय-सीमा प्रारंभ करने का अनुरोध कर सकते हैं। यदि स्कूल डिस्ट्रिक ही वह पक्ष है जिसने विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर की है, तो उसे समाधान बैठक निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

समाधान बैठक का उद्देश्य आपको अपनी शिकायत में वर्णित समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना है तथा स्कूल डिस्ट्रिक को आपके साथ मिलकर समाधान की दिशा में कार्य करने का अवसर देना है। समाधान बैठक निर्धारित करने की जिम्मेदारी स्कूल डिस्ट्रिक की होती है, किन्तु उसमें भाग लेना आपके लिए अनिवार्य है। यदि आप समाधान बैठक में भाग लेने से इंकार करते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक 30-दिवसीय अवधि समाप्त होने पर ALJ से आपकी विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत निरस्त करने का अनुरोध कर सकता है, बशर्ते उसने आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युक्तिसंगत प्रयास किए हों तथा उन प्रयासों का अभिलेखीकरण किया हो।

यह बैठक समाधान प्रक्रिया में एक अनिवार्य चरण है, जब तक कि आप और स्कूल डिस्ट्रिक लिखित रूप में समाधान बैठक को त्यागने पर सहमत न हों, अथवा आप और स्कूल डिस्ट्रिक समाधान बैठक के स्थान पर मध्यस्थता का उपयोग करने पर सहमत न हों। यदि आप और स्कूल डिस्ट्रिक दोनों सहमत हों, तो आप 30-दिवसीय समाधान अवधि से आगे भी मध्यस्थता जारी रख सकते हैं। मध्यस्थता संबंधी जानकारी पृष्ठ 12 पर उपलब्ध है।

समाधान बैठक के प्रतिभागी

आप और स्कूल डिस्ट्रिक यह निर्धारित करते हैं कि IEP दल के कौन-से सदस्य समाधान बैठक में उपस्थित होंगे। चयनित प्रतिभागियों के पास शिकायत में वर्णित चिंताओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। इस बैठक में स्कूल डिस्ट्रिक का ऐसा प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए, जिसके पास जिले की ओर से निर्णय लेने का अधिकार हो, जैसे विशेष शिक्षा निदेशक। स्कूल डिस्ट्रिक समाधान बैठक में अधिवक्ता नहीं ला सकता, जब तक कि आप स्वयं अधिवक्ता लाने का विकल्प न चुनें।

लिखित समझौता अनुबंध

यदि शिकायत में उठाए गए मुद्दों का समाधान समाधान बैठक में हो जाता है, तो आपको और स्कूल डिस्ट्रिक को अपने समझौते को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य है (समझौता अनुबंध)। इस लिखित समझौते पर आपके तथा स्कूल डिस्ट्रिक के प्रतिनिधि, दोनों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। समाधान बैठक में हस्ताक्षरित लिखित समझौता विधिक रूप से बाध्यकारी होता है तथा राज्य या U.S. District Court में प्रवर्तनीय होता है। विधिक रूप से बाध्यकारी होने का अर्थ है कि यदि आप या स्कूल डिस्ट्रिक समझौते का पालन नहीं करते, तो अदालत आपको या डिस्ट्रिक को उसका पालन करने हेतु बाध्य कर सकता है।

समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से आपके पास अपना निर्णय बदलने (अनुबंध को रद्द करने) के लिए 3 व्यावसायिक दिन हैं। यदि आप अपना निर्णय बदलते हैं, तो आपको स्कूल डिस्ट्रिक को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए कि आप समझौता अनुबंध को रद्द कर रहे हैं।

यदि आप और स्कूल डिस्ट्रिक सुनवाई से पूर्व विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत के संबंध में किसी समझौते पर पहुँच जाते हैं, तो शिकायत बंद कर दी जाएगी और कोई विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई आयोजित नहीं की जाएगी।

सुनवाई प्रक्रिया



विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई ऐसे स्थान और समय पर निर्धारित एवं आयोजित की जानी चाहिए जो आपके तथा स्कूल डिस्ट्रिक, दोनों के लिए युक्तिसंगत रूप से सुविधाजनक हो। सुनवाई प्रक्रिया के दौरान जब भी किसी संचार की आवश्यकता होगी, ALJ आप और स्कूल डिस्ट्रिक, दोनों से एक ही समय पर संपर्क करेगा। दूसरे शब्दों में, ALJ, आप, और स्कूल डिस्ट्रिक के बीच सभी संपर्क संयुक्त रूप से होने चाहिए, अलग-अलग नहीं। ALJ स्कूल डिस्ट्रिक से आपके बिना बात नहीं कर सकता, और आप भी स्कूल डिस्ट्रिक की उपस्थिति के बिना ALJ से संवाद नहीं कर सकते।

45-दिवसीय विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई समय-सीमा 30-दिवसीय समाधान अवधि समाप्त होने के पश्चात्, अथवा निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक के घटित होने पर प्रारंभ होती है:

- आप और स्कूल डिस्ट्रिक लिखित रूप में समाधान बैठक को त्यागने (आयोजित न करने) पर सहमत हों; अथवा
- आप और स्कूल डिस्ट्रिक समाधान बैठक या मध्यस्थता बैठक में मुद्दों पर चर्चा प्रारंभ करने के पश्चात् लिखित रूप में इस बात पर सहमत हों कि किसी समझौते की संभावना नहीं है; अथवा
- आप और स्कूल डिस्ट्रिक लिखित रूप में 30-दिवसीय समाधान अवधि से आगे बढ़कर मध्यस्थता जारी रखने पर सहमत हों, और तत्पश्चात आप या स्कूल डिस्ट्रिक मध्यस्थता प्रक्रिया से हट जाएँ।

ALJ सुनवाई की 45-दिवसीय समय-सीमा के भीतर किसी एक पक्ष के अनुरोध पर विस्तार (अधिक समय देने) के लिए सहमत हो सकता है। यदि सुनवाई आयोजित की जाती है, तो ALJ द्वारा निर्णय जारी किया जाना अनिवार्य है और इसकी एक प्रति आपको, स्कूल डिस्ट्रिक और CDE को प्रमाणित डाक द्वारा भेजी जाएगी।

प्रशासनिक विधि न्यायाधीश (ALJ)

जब विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत का समाधान पक्षकारों द्वारा नहीं किया जा सकता, तब प्रशासनिक अदालत कार्यालय के एक ALJ द्वारा औपचारिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।

ALJ, CDE या छात्र की शिक्षा से संबंधित स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा नियोजित नहीं होता, और उसका कोई व्यक्तिगत अथवा पेशेवर हित ऐसा नहीं हो सकता जो किसी एक पक्ष के पक्ष में पक्षपात उत्पन्न करे। ALJ विशेष शिक्षा की आवश्यकताओं में कुशल होता है, जिसमें IDEA, संघीय और राज्य के कानून एवं नियम, और यह समझ शामिल है कि अदालतें विशेष शिक्षा के मामलों की व्याख्या (अर्थ निर्धारित करना) कैसे करती हैं। ALJ मानक विधिक प्रक्रिया के अनुरूप सुनवाई संचालित करता है और लिखित निर्णय जारी करता है। यदि आप विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत प्रस्तुत करते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा IDEA उल्लंघन सिद्ध करने हेतु साक्ष्य उपलब्ध कराना और साझा करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

CDE वर्तमान ALJs तथा उनकी अर्हताओं की सूची संरक्षित रखता है।

सुनवाई के अधिकार

विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई में आपको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

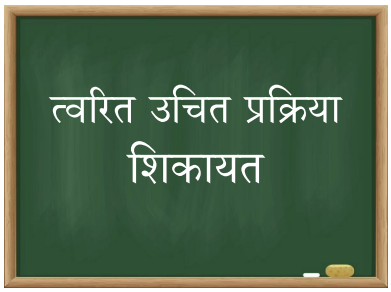
- अपने उस बच्चे को उपस्थित रखने का अधिकार जो सुनवाई का विषय है;
- सुनवाई को जनता के लिए खुला रखने का अनुरोध करने का अधिकार;
- अपने अधिवक्ता अथवा दिव्यांग बालकों के संदर्भ में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों की सहायता एवं परामर्श प्राप्त करने का अधिकार;

- साक्ष्य प्रस्तुत करने, साक्षियों का प्रति-परीक्षण करने एवं साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य करने हेतु समन का अधिकार; (विशेष विवरण: सुनवाई के दौरान केवल उन्हीं विवादों का निस्तारण किया जाएगा जो आपके परिवाद में वर्णित हैं, जब तक कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट नवीन विषयों को सम्मिलित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान न करे);
- किसी भी ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत किए जाने से रोकने का अधिकार जो सुनवाई से कम से कम पांच व्यावसायिक दिन पहले आपको नहीं दिखाया गया था; और
- बिना किसी शुल्क के सुनवाई का ट्रांसक्रिप्ट (शब्दशः लिखित रिकॉर्ड) और ALJ का निर्णय प्राप्त करने का अधिकार।

यदि आपके साथ ऐसे अधिवक्ता हों जो वकील नहीं हैं

यदि आपके साथ ऐसे किसी भी अधिवक्ता या समर्थक की उपस्थिति है जो विधिवेत्ता (वकील) नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को स्कूल डिस्ट्रिक से अधिवक्ता शुल्क (या उनकी सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क) प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ऐसा अधिवक्ता सुनवाई के दौरान विधि का अभ्यास नहीं कर सकता, तथा कार्यवाही में उसकी भागीदारी सीमित की जा सकती है।

त्वरित विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायतें एवं समय-सीमा



त्वरित विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई ऐसी सुनवाई है जिसमें कुछ विशिष्ट एवं सीमित विशेष शिक्षा विवादों के लिए अधिक तीव्र समय-सीमाएँ तथा शीघ्र समाधान उपलब्ध होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई सदैव त्वरित होगी:

- आप स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा आपके बच्चे की शैक्षिक नियुक्ति (कार्यक्रम या सेवाओं) के संबंध में लिए गए निर्णय से असहमत हों, और यह निर्णय स्कूल द्वारा आपके बच्चे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई (हटाना/निलंबन/निष्कासन) के परिणामस्वरूप हुआ हो; अथवा
- आप अभिव्यक्ति-निर्धारण के परिणामों से असहमत हों; अथवा
- स्कूल डिस्ट्रिक यह मानता हो कि आपके बच्चे की वर्तमान शैक्षिक नियुक्ति (कार्यक्रम या सेवाएँ) आपके बच्चे या अन्य व्यक्तियों के लिए गंभीर चोट की पर्याप्त संभावना उत्पन्न करती है।

त्वरित विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत की समय-सीमा में 15 कैलेंडर दिवसों की समाधान अवधि तथा 20 स्कूल दिवसों की सुनवाई अवधि सम्मिलित होती है। स्कूल डिस्ट्रिक को विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत प्राप्त होने के सात कैलेंडर दिवसों के भीतर समाधान बैठक निर्धारित करनी अनिवार्य है। त्वरित विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् ALJ के पास अंतिम निर्णय लिखने तथा उसे आपको और स्कूल डिस्ट्रिक को प्रदान करने हेतु 10 स्कूल दिवस होते हैं। त्वरित विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत के दौरान समय-सीमाओं में किसी प्रकार का विस्तार अनुमत नहीं होगा। इन कार्यवाहियों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु अनुशासन अनुभाग (पृष्ठ 29) देखें।

विधिसम्मत प्रक्रिया के दौरान बच्चे की स्थिति

विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत लंबित रहने के दौरान आपके बच्चे को उसकी वर्तमान शैक्षिक नियुक्ति में ही बने रहना चाहिए (जिसे "यथास्थिति बनाए रखना" कहा जाता है)। आपके बच्चे की वर्तमान शैक्षिक नियुक्ति वही है जो सबसे हाल ही में लागू किए गए IEP में वर्णित है। उदाहरणार्थ, यदि स्कूल डिस्ट्रिक आपके बच्चे के सामान्य शिक्षा में समय को 85% से घटाकर 50% करने का प्रस्ताव रखता है, और आप असहमति व्यक्त कर विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करते हैं, तो शिकायत का समाधान होने तक आपके बच्चे को उसकी पूर्व नियुक्ति (सामान्य शिक्षा में 85% समय) में ही रहना होगा।

तथापि, आप और स्कूल डिस्ट्रिक इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत लंबित रहने के दौरान आपके बच्चे की शैक्षिक नियुक्ति में परिवर्तन किया जाए। उपर्युक्त उदाहरण में, यदि कुछ क्षेत्रों में आपकी सहमति हो, तो आप अपने बच्चे की कुछ सेवाओं में परिवर्तन पर सहमत हो सकते हैं।

आपको "यथास्थिति बनाए रखन" का अलग से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करते ही यह स्वतः लागू हो जाता है। यथास्थिति बनाए रखना प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाद के समाधान के दौरान आपके बच्चे का शैक्षिक कार्यक्रम बाधित न हो। यथास्थिति बनाए रखना प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब आप विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करते हैं। मध्यस्थता या राज्य शिकायतों के लिए यथास्थिति बनाए रखना उपलब्ध नहीं है।

विभिन्न परिस्थितियों में वर्तमान शैक्षिक नियुक्ति के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- यदि स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण आपके बच्चे को अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्था (IAES – स्कूल के बाहर अस्थायी शिक्षण व्यवस्था) में रखा गया है, तो आपका बच्चा उस वैकल्पिक व्यवस्था में तब तक रहेगा जब तक ALJ निर्णय न दे दे, अथवा स्कूल डिस्ट्रिक की अनुशासनात्मक अवधि समाप्त न हो जाए, जो भी पहले हो।
- यदि विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत डिस्ट्रिक में प्रवेश से संबंधित है, तो आपकी अनुमति से आपके बच्चे को विधिसम्मत प्रक्रिया पूर्ण होने तक स्कूल डिस्ट्रिक में रखा जाना चाहिए।
- यदि आपकी शिकायत भाग B (आयु 3-21 वर्ष) के अंतर्गत सेवाओं के प्रारंभ से संबंधित है और आपका बच्चा 3 वर्ष का हो चुका है, तो स्कूल डिस्ट्रिक आपके बच्चे को भाग C (जन्म से 2 वर्ष तक) के अंतर्गत प्राप्त हो रही प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ जारी रखने के लिए बाध्य नहीं है।
- यदि आपका बच्चा विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए पात्र पाया जाता है और आप सेवाओं के प्रारंभिक प्रावधान हेतु सहमति देते हैं, किन्तु आप और स्कूल डिस्ट्रिक प्रारंभिक IEP की विषय-वस्तु पर सहमत नहीं हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक को वे सेवाएँ प्रदान करनी होंगी जो विवादित नहीं हैं अर्थात् वे सेवाएँ जिन पर सभी सहमत हैं कि आपके बच्चे को उनकी आवश्यकता है।



यदि विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई में ALJ आपसे, अर्थात् बच्चे के अभिभावकों से, इस बात पर सहमत होता है कि शैक्षिक नियुक्ति में परिवर्तन उपयुक्त है, तो उस नियुक्ति को विधिसम्मत प्रक्रिया निर्णय के विरुद्ध किसी भी आगामी अपील के दौरान बच्चे की वर्तमान शैक्षिक नियुक्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य और अभिभावकों के बीच हुए समझौते के रूप में माना जाएगा।

निर्णय के विरुद्ध अपील

संघीय या राज्य अदालत में अपील

ALJ का निर्णय अंतिम होता है, जब तक कि उसके विरुद्ध किसी संघीय या राज्य अदालत में अपील न की जाए। ALJ के निर्णय में पीड़ित पक्ष (अर्थात् जो पक्ष सफल नहीं हुआ या विजयी नहीं हुआ) को ALJ के निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर संघीय जिला अदालत में वाद दायर करने का अधिकार है। अदालत अभिलेखों की समीक्षा करेगा, पक्षकारों के अनुरोध पर अतिरिक्त साक्ष्य सुनेगा, और तत्पश्चात अभिलेखों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय देगा। अदालत में दायर की गई अपील के लिए अदालती व्यय आपको वहन करना होगा, किन्तु यदि आप सफल होते हैं, तो अदालत के विवेकानुसार आपको अदालत शुल्क एवं अधिवक्ता शुल्क प्रदान किए जा सकते हैं।

अधिवक्ता शुल्क

आप विधिसम्मत प्रक्रिया (या विधिसम्मत प्रक्रिया निर्णय की अपील संबंधी कार्यवाहियों) में अपना प्रतिनिधित्व कराने हेतु किसी भी समय अधिवक्ता नियुक्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, किन्तु आपको अपने विधिक व्यय का भुगतान स्वयं करना होगा। यदि आप अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लेते हैं और अपनी विधिसम्मत प्रक्रिया सुनवाई से संबंधित किसी भी कार्यवाही या प्रकरण में सफल होते हैं (अर्थात् निर्णय आपके पक्ष में दिया जाता है, जिससे आप प्रबल पक्षकार ठहरते हैं), तो अदालतकूल डिस्ट्रिक को आपको युक्तिसंगत अधिवक्ता शुल्क का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

यदि स्कूल डिस्ट्रिक सफल होता है

यदि स्कूल डिस्ट्रिक सफल (विजयी) होता है, तो सीमित परिस्थितियों में अदालत आपको स्कूल डिस्ट्रिक के युक्तिसंगत अधिवक्ता शुल्क का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। यदि स्कूल डिस्ट्रिक सफल होता है और अदालत निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति का निर्धारण करता है, तो अदालत आपको या आपके अधिवक्ता को स्कूल डिस्ट्रिक के अधिवक्ता शुल्क का भुगतान करने का आदेश दे सकता है:

- कार्रवाई तुच्छ थी (जिसका उद्देश्य स्कूल डिस्ट्रिक को परेशान करना, देरी करना या शर्मिंदा करना था), अनुचित थी या उसका कोई आधार नहीं था;
- कार्यवाही के स्पष्ट रूप से तुच्छ, अविवेकपूर्ण, अथवा निराधार हो जाने के पश्चात भी आपने विधिक कार्यवाही जारी रखी; अथवा
- विधिक कार्यवाही किसी अनुचित उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, जैसे उत्पीड़न करना, अनावश्यक विलंब उत्पन्न करना, या विधिक शुल्क की लागत को अनावश्यक रूप से बढ़ाना।

यदि अदालत आपको या जनपद को कानूनी फीस भुगतान करने का आदेश देती ह

यदि अदालत आपके पक्ष में अथवा स्कूल डिस्ट्रिक के पक्ष में विधिक शुल्क के भुगतान का आदेश देता है, तो अदालत यह निर्धारित करेगा कि कौन-सी राशि युक्तिसंगत है। अधिवक्ता शुल्क उस समुदाय में प्रचलित सामान्य दरों पर आधारित होना चाहिए जहाँ कार्यवाही या प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, तथा प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार एवं गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए। अधिवक्ता शुल्क प्रदान करने की अदालत की क्षमता पर कुछ विशिष्ट सीमाएँ लागू होती हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में अदालत अधिवक्ता शुल्क प्रदान **नहीं** कर सकता:

- जहाँ स्कूल डिस्ट्रिक कार्यवाही प्रारंभ होने के 10 दिनों के भीतर विवाद के समाधान हेतु लिखित समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, आप उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, और प्रकरण में दिया गया निर्णय स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा प्रस्तावित समझौते की तुलना में आपके लिए कम अनुकूल होता है;
    - ◊ तथापि, यदि आप कार्यवाही में सफल होते हैं और अदालत यह निर्धारित करता है कि स्कूल डिस्ट्रिक के समझौता प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए आपके पास पर्याप्त औचित्य (उचित कारण) था, तो अदालत आपको शुल्क प्रदान कर सकता है;
- IEP बैठक में आपके अधिवक्ता की सहभागिता के लिए, जब तक कि वह बैठक किसी प्रशासनिक सुनवाई या अदालती कार्यवाही के परिणामस्वरूप आहूत न की गई हो; अथवा
- समाधान बैठक में आपके अधिवक्ता की सहभागिता के लिए।

अधिवक्ता शुल्क में कटौती

अदालत अधिवक्ता शुल्क के पुरस्कार में भी कमी कर सकता है, यदि निम्नलिखित में से कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है:

- कार्यवाही के दौरान आपने या आपके अधिवक्ता ने विवाद के अंतिम समाधान में अनुचित विलंब किया हो;
- आपके अधिवक्ता शुल्क की राशि उन अधिवक्ताओं द्वारा समान सेवाओं के लिए समुदाय में प्रचलित प्रति घंटा दर से अनुचित रूप से अधिक हो, जिनकी योग्यता
- प्रतिष्ठा, और अनुभव युक्तिसंगत रूप से तुलनीय हों;
- कार्यवाही या प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए व्यतीत किया गया समय तथा प्राप्त विधिक सेवाएँ अत्यधिक (आवश्यकता से अधिक) रही हों; अथवा
- आपके अधिवक्ता ने आपकी शिकायत सूचना में स्कूल डिस्ट्रिक को उपयुक्त जानकारी प्रदान न की हो।



उपरोक्त में से कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा यदि अदालत यह पाता है कि राज्य अथवा स्कूल डिस्ट्रिक ने कार्यवाही या प्रकरण के अंतिम समाधान में अनुचित विलंब किया, अथवा अन्यथा IDEA के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया।

अभिभावकों द्वारा सार्वजनिक खर्च पर निजी स्कूल में अक्षमता वाले बच्चों का एकपक्षीय नामांकन

प्रतिपूर्ति निर्धारण प्रक्रिया

यदि आप अपने बच्चे को किसी निजी स्कूल में प्रवेश दिलाने का विकल्प चुनते हैं, तो आपके स्कूल डिस्ट्रिक के लिए उस निजी स्कूल में शिक्षा, विशेष शिक्षा या संबद्ध सेवाओं की लागत का भुगतान करना अनिवार्य नहीं है, बशर्ते कि जिले ने आपके बच्चे को एक निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) का प्रस्ताव दिया हो। यदि आपको यह विश्वास है कि स्कूल डिस्ट्रिक आपके बच्चे को FAPE प्रदान करने में विफल रहा है, तो आपके पास ALJ के समक्ष सुनवाई का अनुरोध करने हेतु विधिसम्मत प्रक्रिया शिकायत दायर करने का विकल्प है, जो यह निर्णय देगा कि क्या स्कूल डिस्ट्रिक ने आपके बच्चे को FAPE प्रदान किया था (विधिसम्मत प्रक्रिया संबंधी जानकारी हेतु पृष्ठ 18-24 देखें)। यदि ALJ यह निर्धारित करता है कि स्कूल डिस्ट्रिक ने FAPE प्रदान नहीं किया, तो ALJ यह निर्णय दे सकता है कि आपके बच्चे को निजी स्कूल में नामांकित करने पर हुए आपके व्यय की प्रतिपूर्ति (राशि वापसी) का आपको अधिकार है।

प्रतिपूर्ति में कटौती या उसका नुकसान

स्कूल डिस्ट्रिक द्वारा आपको दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि में कमी की जा सकती है, अथवा आप प्रतिपूर्ति के अधिकार से पूर्णतः वंचित हो सकते हैं, यदि निम्नलिखित में से कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है:

- आपके द्वारा अपने बच्चे को स्कूल से हटाने से पूर्व आयोजित IEP बैठक में आपने स्कूल को यह सूचित नहीं किया कि आप IEP दल द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी चिंताओं से अवगत नहीं कराया, तथा यह नहीं बताया कि आप अपने बच्चे को निजी स्कूल में नामांकित करने की योजना बना रहे हैं; अथवा
- आपने अपने बच्चे को स्कूल डिस्ट्रिक से हटाने से कम-से-कम 10 कार्यदिवस पूर्व स्कूल को लिखित रूप में यह सूचित नहीं किया कि आप IEP स्वीकार नहीं कर रहे हैं तथा अपने बच्चे को निजी स्कूल में नामांकित करने का इरादा रखते हैं। इन 10 कार्यदिवसों में वे अवकाश भी सम्मिलित हैं जो कार्यदिवसों पर पड़ते हैं; अथवा
- अपने बच्चे को स्कूल से हटाने से पूर्व स्कूल डिस्ट्रिक ने आपको पूर्व लिखित सूचना दी थी कि वह आपके बच्चे का मूल्यांकन करने की योजना बना रहा है, और आपने अपने बच्चे को उस मूल्यांकन हेतु उपलब्ध नहीं कराया; अथवा
- कोई अदालत यह निर्धारित करता है कि आपने अविवेकपूर्ण अथवा अनुचित आचरण किया।

प्रतिपूर्ति का संरक्षण



आपकी प्रतिपूर्ति (वह राशि जो आपको वापस भुगतान की जानी है) को कम नहीं किया जा सकता है, या आपको पुनर्भुगतान देने से मना नहीं किया जा सकता है यदि:

- स्कूल डिस्ट्रिक ने आपको नोटिस देने से रोका था;
- स्कूल डिस्ट्रिक ने आपको यह नहीं बताया था कि आपके लिए नोटिस देना अनिवार्य है; या
- सूचना देने के परिणामस्वरूप आपके बालक को शारीरिक क्षति पहुँच सकती थी।
- इसके अलावा, एक अदालत या ALJ यह निर्णय ले सकते हैं कि इस सूचना को न देने के कारण प्रतिपूर्ति की लागत को कम नहीं किया जा सकता या आपसे इसके लिए मना नहीं किया जा सकता है यदि:
- आप अंग्रेजी में पढ़ या लिख नहीं सकते हैं; या
- सूचना देने के परिणामस्वरूप आपके बालक को गंभीर भावनात्मक क्षति पहुँच सकती थी।

D. अनुशासन से संबंधित निर्णयों को चुनौती देने का आपका अधिकार

कृपया ध्यान दें: आपका बालक स्कूल के किसी भी अन्य छात्र के समान नियमों और अनुशासन के अधीन है और वह IEP में वर्णित सेवाओं को प्राप्त करना जारी रखेगा, लेकिन संभवतः उसी स्थान पर नहीं।

दिव्यांग बच्चों हेतु अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ

कुछ मामलों में, आपके स्कूल डिस्ट्रिक को आपके अक्षमता वाले बालक को विशेष शिक्षा सेवाएँ प्रदान करना जारी रखना पड़ सकता है, भले ही जनपद ने आपके बालक को उनकी वर्तमान शैक्षिक स्थिति से निलंबित कर दिया हो, निष्कासित कर दिया हो या अन्य किसी तरह से हटा दिया हो। आपके बालक का IEP उनकी वर्तमान शैक्षिक स्थिति का विवरण देता है।

2024 में, Colorado General Assembly ने अक्षमता ग्रस्त बच्चों के स्कूल में पूरे दिन उपस्थित रहने के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राज्य कानून पारित किया। आप संक्षिप्त स्कूली दिनों के बारे में जानकारी परिशिष्ट D में पा सकते हैं।

शैक्षिक स्थापन एवं वैकल्पिक विकल्प

यदि आपके बालक को स्कूल डिस्ट्रिक के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उनकी वर्तमान

शैक्षिक स्थिति से लगातार 10 स्कूल दिवसों से कम समय के लिए हटाया जाता है, तो स्कूल डिस्ट्रिक के लिए उस निष्कासन के दौरान आपके बालक को विशेष शिक्षा सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि वह इस स्थिति में सभी छात्रों को सेवाएँ प्रदान न करता हो। यदि आपके बालक को *10 स्कूल दिवसों से अधिक समय* के लिए स्कूल से हटाया जाता है, तो स्कूल को आपके बालक को विशेष शिक्षा सेवाएँ प्रदान करना जारी रखना चाहिए, भले ही वह किसी अन्य शैक्षिक परिवेश (जैसे कि कोई अन्य कक्षा, भवन या घर पर) में हो।

यदि स्कूल डिस्ट्रिक आपके बालक को एक ही स्कूल वर्ष में लगातार 10 स्कूल दिवसों से अधिक समय के लिए उनके वर्तमान स्थान से हटाता है, तो इसे आपके बालक के शैक्षिक स्थान का परिवर्तन माना जाता है।

स्कूल डिस्ट्रिक ने आपके बालक को अलग-अलग अवसरों पर (निष्कासनों की एक श्रृंखला) उनकी वर्तमान शैक्षिक स्थिति से हटाया है, जो एक शैक्षिक वर्ष में कुल मिलाकर 10 दिनों से अधिक हो जाते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक को यह निर्धारित करना होगा कि क्या वे सभी निष्कासन मिलकर आपके बालक के शैक्षिक स्थान का परिवर्तन माने जाएंगे। यह निर्णय लेते समय, डिस्ट्रिक को निम्नलिखित कारकों पर विचार करना चाहिए:

- प्रत्येक अवसर की समयावधि जब आपके बालक को हटाया गया था;
- आपके बालक को हटाए जाने की कुल समयावधि;
- बालक को कितनी जल्दी-जल्दी हटाया गया था; और
- आपके बालक का वह व्यवहार, जिसके लिए उसे हटाया गया था, पिछले उन व्यवहारों के कितना समान है जिनके कारण उसे पहले हटाया गया था।



जब किसी बच्चे द्वारा स्कूल के नियमों का पालन न करने के कारण उसके शैक्षिक स्थापन में परिवर्तन किया जाता है, तो स्कूल डिस्ट्रिक, अभिभावक और IEP टीम के उपयुक्त सदस्यों के लिए अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा बैठक में भाग लेना अनिवार्य है। अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या बालक का व्यवहार उसकी दिव्यांगता अथवा IEP के क्रियान्वयन में विफलता के कारण उत्पन्न हुआ था।

अभिव्यक्ति निर्धारण

अनुशासनिक कारणों से आपके बालक के शैक्षिक नियोजन में परिवर्तन करने से पूर्व, स्कूल डिस्ट्रिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह यह सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित कदम उठाए कि आपके बालक को उन कृत्यों के लिए दंडित न किया जा रहा हो जो उनकी दिव्यांगता के कारण हुए थे, तथा यह विनिश्चित करे कि क्या स्कूल में सहभागिता हेतु आपके बालक को अतिरिक्त व्यवहार संबंधी मूल्यांकन एवं सहायता की आवश्यकता है।

इसका एक चरण अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा (MDR) बैठक आयोजित करना है। यह बैठक यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या आपके बालक के व्यवहार का कारण उसकी दिव्यांग थी या उससे सीधा और ठोस संबंध था, या वह व्यवहार बालक के IEP को लागू करने में विफलता के कारण हुआ था। छात्र आचार संहिता के माध्यम से बालक के शैक्षिक स्थान को बदलने के किसी भी निर्णय के 10 स्कूली दिनों के भीतर IEP टीम को यह बैठक आयोजित करनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें: आपका बालक स्कूल के किसी भी अन्य छात्र के समान नियमों और अनुशासन के अधीन है और वह IEP में वर्णित सेवाओं को प्राप्त करना जारी रखेगा, लेकिन संभवतः उसी स्थान पर नहीं।

अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा (MDR) बैठक

अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा बैठक में, आप और IEP टीम के अन्य सदस्य प्रासंगिक जानकारी की समीक्षा करते हैं, जिसमें आपके बच्चे की IEP, शिक्षकों के अवलोकन और प्रदान की गई कोई भी संबंधित जानकारी शामिल होती है। स्कूल डिस्ट्रिक के लिए यह बताना अनिवार्य है कि उसने अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए किसे आमंत्रित किया है, क्योंकि आपको भी यह तय करने का अधिकार है कि इस बैठक में किसे शामिल होना चाहिए और आप अपनी ओर से अन्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

स्कूल के अधिकारियों द्वारा अनुशासन प्रक्रिया के माध्यम से यह निर्धारित किया जाएगा कि आपके बालक ने छात्र आचार संहिता के किन नियमों का उल्लंघन किया है। अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा यह निर्धारित करती है कि क्या वह व्यवहार बच्चे की अक्षमता की अभिव्यक्ति थी; इसका उद्देश्य यह तय करना नहीं है कि वह घटना हुई थी या नहीं, और न ही यह कि आपका बच्चा जानता था कि वह व्यवहार गलत था। दल को यह भी विनिश्चित करना होगा कि क्या उक्त व्यवहार IEP को क्रियान्वित करने की विफलता के कारण उत्पन्न हुआ था।

यदि उक्त व्यवहार आपके बालक की अक्षमता/दिव्यांगता की अभिव्यक्ति पाया जाता है, तो आपके बालक को उसी नियोजन में वापस भेज दिया जाएगा जहाँ से उन्हें हटाया गया था; जब तक कि आप और स्कूल डिस्ट्रिक, व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना (behavioral intervention plan, BIP) के संशोधन के अंग के रूप में, नियोजन परिवर्तन हेतु परस्पर सहमत न हों।

यदि आपके बालक का व्यवहार उनकी दिव्यांगता की अभिव्यक्ति पाया जाता है, तो IEP दल के लिए निम्नलिखित अनिवार्य है:

1. यथाशीघ्र एक कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन (FBA) आयोजित करना, सिवाय उस स्थिति के जब हाल ही में ऐसा कोई मूल्यांकन किया जा चुका हो। FBA आपके बालक के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारणों को समझने का एक माध्यम है, जिसके अंतर्गत सामाजिक-संवेगात्मक कार्यप्रणाली और उनके परिवेश में व्यवहार को प्रेरित करने वाले कारकों जैसे विभिन्न पहलुओं का अवलोकन किया जाता है। एक FBA आपके बालक के विषय में ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना और/या अन्य सकारात्मक व्यवहार संबंधी सहायता विकसित करने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होगी;
2. कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन के आधार पर एक व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना विकसित करना। व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना उन व्यवहारों को संबोधित करती है जो स्कूल के लिए उपयुक्त नहीं हैं, और उन विशिष्ट तरीकों को निर्धारित करती है जिनसे स्कूल आपके बालक को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक उपयुक्त तरीके सिखाकर उन व्यवहारों को कम करने का प्रयास करेगा; अथवा
3. यदि व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना पहले से अस्तित्व में है, तो उस योजना की समीक्षा करना और आवश्यक परिवर्तन करना।

यदि आपके बालक का व्यवहार उनकी दिव्यांगता की अभिव्यक्ति नहीं पाया जाता है, तो स्कूल डिस्ट्रिक वही अनुशासनिक परिणाम/दंड लागू कर सकता है जो वह बिना किसी अक्षमता वाले बालक पर लागू करता। यदि इसके परिणामस्वरूप उन्हें उनके परिवेश से 10 दिनों से अधिक के लिए हटाया जाता है, तो IEP दल को यह निर्णय लेना होगा कि आपके बालक को सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने और अपने IEP लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने हेतु कौन सी शैक्षिक सेवाएँ उपयुक्त होंगी। इसके पश्चात, स्कूल डिस्ट्रिक को वे सेवाएँ एक अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक परिवेश में प्रदान करनी होंगी (नीचे देखें)। यदि आपके बालक को उनके परिवेश से 10 दिनों से कम समय के लिए हटाया जाता है, तो इसे नियोजन का अनुशासनिक परिवर्तन नहीं माना जाता है और स्कूल डिस्ट्रिक यह निर्णय ले सकता है कि उस अवधि के दौरान कौन सी सेवाएँ प्रदान करना उपयुक्त है। स्कूल डिस्ट्रिक को उपयुक्त व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप सेवाएँ और संशोधन भी प्रदान करने होंगे, जिन्हें चुनौतीपूर्ण व्यवहार के समाधान हेतु इस प्रकार तैयार किया गया हो ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो।

अंतरिम वैकल्पिक (अस्थायी एवं भिन्न) शैक्षिक परिवेश

आपके बालक को एक अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक परिवेश (interim alternative educational setting, IAES) में रखने का निर्णय आपके बालक के IEP दल द्वारा लिया जाता है। एक IAES आपके बालक के लिए विशेष शिक्षा प्राप्त करने हेतु एक अस्थायी एवं भिन्न नियोजन है। जिस तिथि को IEP दल स्कूल के किसी नियम का उल्लंघन करने के कारण आपके बालक के नियोजन को IAES में परिवर्तित करने का निर्णय लेता है, उस तिथि को स्कूल डिस्ट्रिक के लिए आपको उस निर्णय की सूचना देना और आपको यह मार्गदर्शिका या इसकी प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचना प्रदान करना अनिवार्य है।

भले ही आपके बालक का व्यवहार उनकी दिव्यांगता के कारण हुआ हो, स्कूल डिस्ट्रिक आपके बालक को 45 स्कूली दिनों तक के लिए एक IAES में स्थानांतरित कर सकता है, यदि आपके बालक ने:

- स्कूल में हथियार लाया हो या स्कूल परिसर में अथवा स्कूल के किसी समारोह में उसके पास हथियार हो;
- स्कूल में, स्कूल परिसर में या स्कूल के किसी समारोह के दौरान जानबूझकर अवैध नशीली दवाएं रखी हों या उनका उपयोग किया हो, अथवा किसी नियंत्रित पदार्थ (उदाहरण के लिए, मादक पदार्थ) को बेचा हो या उसे खरीदने या बेचने का प्रयास किया हो; अथवा
- स्कूल में, स्कूल परिसर में या स्कूल के किसी समारोह के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट (इतनी गंभीर जिससे अत्यधिक शारीरिक पीड़ा, विरूपण, अंग-अक्षमता या मृत्यु का जोखिम उत्पन्न हो) पहुँचाई हो।

इसके अतिरिक्त, यदि आपके बालक का व्यवहार ***प्रत्यक्ष रूप से उनकी दिव्यांगता या IEP को क्रियान्वित करने की विफलता के कारण नहीं हुआ था***, तो आपके बालक को उतने ही समय के लिए एक IAES में रखा जा सकता है, जितने समय के लिए बिना किसी अक्षमता वाले बालक को अनुशासित किया जाता।

यदि आपके बालक का व्यवहार ***प्रत्यक्ष रूप से आपकी बालक की दिव्यांगता या IEP को क्रियान्वित करने की विफलता से संबंधित था अथवा उसके कारण हुआ था***, और आपके बालक ने स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया है, तो आपके बालक को उसी शैक्षिक परिवेश में वापस लौटाना अनिवार्य होगा जहाँ से उन्हें हटाया गया था; जब तक कि आप और स्कूल डिस्ट्रिक, व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना या IEP में परिवर्तन के अंग के रूप में, नियोजन में परिवर्तन हेतु परस्पर सहमत न हों।

यद्यपि, यदि स्कूल डिस्ट्रिक का यह मानना है कि आपके बालक को उनके वर्तमान शैक्षिक नियोजन में (आपके बालक के IEP के अनुसार) बनाए रखने से आपके बालक या अन्य व्यक्तियों को चोट पहुँचने की अत्यधिक संभावना है, तो स्कूल डिस्ट्रिक इस चिंता पर चर्चा करने हेतु एक IEP बैठक बुला सकता है। यदि आप और स्कूल डिस्ट्रिक नियोजन परिवर्तन के संबंध में असहमत होते हैं, तो जनपद एक त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई की मांग कर सकता है – दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध कर सकता है जिसे शीघ्र समाधान हेतु त्वरित रूप से संचालित किया जाएगा। (तत्वरित विधिसम्मत प्रक्रिया अनुभाग देखें, पृष्ठ 24)।

यदि आप शैक्षिक स्थापन में परिवर्तन अथवा अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा के निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं, तो क्या करें?



अनुशासनात्मक कारणों से अपने बालक के वर्तमान शैक्षिक स्थापन को बदलने के निर्णय को चुनौती देने, अथवा अभिव्यक्ति निर्धारण समीक्षा के निष्कर्षों के विरुद्ध, आप एक त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं। (त्वरित कानूनी प्रक्रिया संबंधी जानकारी देखें पृष्ठ 24)। त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई के दौरान, ALJ यह निर्णय लेंगे कि क्या स्कूल डिस्ट्रिक ने स्थानन में परिवर्तन करते समय वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया था।
आपके बच्चे का स्थानन या यदि डिस्ट्रिक ने यह प्रदर्शित किया है कि आपके बच्चे का व्यवहार उसकी दिव्यांगता की अभिव्यक्ति थी अथवा नहीं।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्कूल डिस्ट्रिक एक त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध कर सकता है यदि वह यह निर्धारित करता है कि आपके बच्चे के स्थानन को जारी रखने से आपके बच्चे या दूसरों को चोट पहुँचने की अत्यधिक संभावना है। (त्वरित उचित प्रक्रिया देखें पृष्ठ 24)।

अभिव्यक्ति निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित चिंताओं के समाधान हेतु आप एक राज्य स्तरीय शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। (राज्य शिकायत प्रक्रिया देखें, पृष्ठ 15)।

जब आपके बच्चे का व्यवहार एक संदिग्ध दिव्यांगता के कारण हो

यदि आपके बच्चे के पास IEP नहीं है, तो भी आप स्कूल डिस्ट्रिक से अपने बच्चे के साथ अक्षमता ग्रस्त बच्चे के समान व्यवहार करने का अनुरोध कर सकते हैं, यदि स्कूल के किसी नियम का उल्लंघन करने से पहले इनमें से कोई भी घटना हुई हो:

- आपने स्कूल के नेतृत्वकर्ताओं या अपने बच्चे के शिक्षक को लिखित रूप में सूचित किया था कि आपके विचार में आपके बच्चे को विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है; अथवा
- आपने अपने बच्चे के लिए मूल्यांकन का अनुरोध किया था; अथवा
- आपके बच्चे के शिक्षक या स्कूल जिले के अन्य कर्मचारी सदस्य ने विशेष शिक्षा निदेशक या अन्य प्रबंधन कर्मचारियों को सूचित किया था कि उन्हें आपके बच्चे के व्यवहार के पैटर्न के संबंध में विशिष्ट चिंताएँ हैं।

यदि आपको संदेह है कि आपके बच्चे का व्यवहार किसी अक्षमता के कारण है, लेकिन उपरोक्त में से कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, तो भी आप मूल्यांकन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। मूल्यांकन त्वरित गति से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, भले ही आपके बच्चे को वर्तमान में सेवाएँ प्राप्त न हो रही हों। यदि उन्हें विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए पात्र पाया जाता है, तो स्कूल डिस्ट्रिक को अभी भी आपके छात्र को अनुशासित करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें आपके बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ भी प्रदान करनी होंगी।

यदि आपने स्कूल डिस्ट्रिक को अपने बच्चे के विशेष शिक्षा मूल्यांकन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है, तो स्कूल जिले से आपके बच्चे के साथ अक्षमता ग्रस्त बच्चे के समान व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यह तब भी सत्य है यदि आपने अपने बच्चे के लिए विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं से इनकार कर दिया है, या यदि आपके बच्चे का मूल्यांकन किया गया था और बहुविषयक टीम ने यह निर्णय लिया था कि आपके बच्चे को कोई अक्षमता नहीं है। स्कूल डिस्ट्रिक आपके बच्चे को उसी प्रकार अनुशासित कर सकता है जैसे वह बिना दिव्यांगता वाले उन छात्रों को अनुशासित करता है जो समान रूप से व्यवहार करते हैं।

कानून प्रवर्तन एजेंसी को प्रेषण

कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकारियों पर किसी अक्षमता ग्रस्त बालक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु कोई निषेध नहीं है। यदि कोई स्कूल डिस्ट्रिक किसी अक्षमता वाले बच्चे द्वारा किए गए अपराध की रिपोर्ट करता है, तो उसे विचारार्थ बच्चे की विशेष शिक्षा और अनुशासनात्मक अभिलेख कानूनि प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों को प्रदान करने होंगे। स्कूल डिस्ट्रिक केवल वही अभिलेख प्रदान कर सकता है जिनकी अनुमति FERPA द्वारा दी गई है।

COLORADO
Department of Education

विशिष्ट छात्र सेवा इकाई (Exceptional Student Services Unit)
201 E. Colfax, Room 402
Denver, CO 80203
ई-मेल: Parents_ESSUquestions@cde.state.co.us
वेबसाइट: CDE विवाद निवारण वेबसाइट का अवलोकन करें



परिशिष्ट A

पात्रता श्रेणियाँ
वेब लिंक

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_detautism)

बधिर-अंधता बधिर-अंधता के लिए पात्रता जाँच-सूची देखें
(https://www.cde.state.co.us/ IEP_Det_DB)

विकासात्मक विलंब विकासात्मक विलंब के लिए पात्रता जाँच-सूची देखें
(https://www.cde.state.co.us/IEP_Det_DD)

श्रवण बाधिता, जिसमें बधिरता भी सम्मिलित हैश्रवण बाधिता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें, जिसमें बधिरता भी सम्मिलित है
(https://www.cde.state.co.us/IEP_Det_HI)

बौद्धिक दिव्यांगता बौद्धिक दिव्यांगता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_detintellectual)

बहु-दिव्यांगता बहु-दिव्यांगता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https:// www.cde.state.co.us/IEP_Det_MD)

अस्थि संबंधी विकार अस्थि संबंधी विकार के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_det_oi)

अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार अन्य स्वास्थ्य विकारों के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_det_ohi)

गंभीर भावनात्मक दिव्यांगता गंभीर भावनात्मक दिव्यांगता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_detseriousemotional)

विशिष्ट अधिगम अक्षमता विशिष्ट अधिगम अक्षमता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https://www.cde.state.co.us/IEP_Det_SLD)

वाक् या भाषा बाधिता वाक् या भाषा बाधिता के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_detsli)

अभिघातज मस्तिष्क चोट मस्तिष्क आघात के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_det_tbi)

दृष्टि बाधिता, जिसमें अंधत्व भी शामिल है दृष्टि बाधिता, जिसमें अंधता भी सम्मिलित है, के लिए पात्रता चेकलिस्ट देखें
(https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_formvisionimpairmentincludingblindness_2023)

परिशिष्ट B एजेंसी का संपर्क विवरण

The ARC of Colorado

कोलोराडो में The Arc के कुल 15 अध्याय हैं, जिनमें राज्य अध्याय और निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले 14 स्थानीय अध्याय सम्मिलित हैं। स्थानीय अध्याय अपने सेवा क्षेत्रों में निवास करने वाले बौद्धिक विकासात्मक अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए व्यक्तिगत पक्षसमर्थन सेवाएँ प्रदान करते हैं। वे सूचना एवं प्रेषण सेवाएँ, सार्वजनिक नीति समर्थन, सामुदायिक शिक्षा और अन्य संबंधित सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। अपने स्थानीय अध्याय को खोजने के लिए The Arc Colorado की वेबसाइट (https://thearcofco.org/about/the-arc-chapters) का अवलोकन करें।

रूपांतरणकारी न्याय परियोजना

स्कूल संबंधी विधिक विषयों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का सामना कर रहे युवाओं को विधिक प्रतिनिधित्व और वकालत/पक्षसमर्थन प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए रूपांतरणकारी न्याय परियोजना की वेबसाइट (https://tjpcolorado.org/our-programs) का अवलोकन करें।

Disability Law Colorado

Disability Law Colorado राज्य की नामित संरक्षण एवं पक्षसमर्थन प्रणाली है। Disability Law Colorado एक गैर-लाभकारी संगठन है जो दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें प्रत्यक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व, जाँच, प्रशिक्षण और शिक्षा, सूचना एवं रेफरल, और विधायी विश्लेषण एवं वकालत शामिल हैं। Disability Law Colorado व्यक्तियों को राज्य और संघीय वित्त पोषित सेवाएँ प्राप्त करने में भी सहायता करता है, जैसे कि विशेष शिक्षा। अधिक जानकारी हेतु Disability Law Colorado की वेबसाइट पर जाएँ (https://disabilitylawco.org/) अथवा उनसे 1-800-531-2105 पर संपर्क करें।

नागरिक अधिकार कार्यालय (OCR)

OCR उन छात्र समूहों को सेवाएँ प्रदान करता है जो भेदभाव का सामना कर रहे हैं, साथ ही यह उन अधिवक्ताओं और संस्थानों को भी सहयोग देता है जो नागरिक अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के प्रणालीगत समाधान को बढ़ावा दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भेदभाव संबंधी शिकायतों का समाधान करना है। OCR उन संस्थानों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, ताकि वे उन नागरिक अधिकार कानूनों का स्वेच्छा से अनुपालन सुनिश्चित कर सकें जिन्हें OCR लागू करता है। Office for Civil Rights अनेक संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का प्रवर्तन करता है, जो उन कार्यक्रमों या गतिविधियों में भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं, जिन्हें शिक्षा विभाग से संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। OCR का ध्येय शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना और राष्ट्र के स्कूलों में नागरिक अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन के माध्यम से शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अधिक जानकारी हेतु आप Office for Civil Rights की वेबसाइट पर जा सकते हैं (https:// www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html) अथवा उनसे 303-844-5695 पर संपर्क कर सकते हैं।

अभिभावक प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र:

PEAK Parent Center

PEAK Parent Center एक गैर-लाभकारी संस्था है जो यह सुनिश्चित करने के लिए हर दिन काम करती है कि दिव्यांग सभी व्यक्ति अपने पड़ोस के स्कूलों, समुदायों, रोजगार और जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शामिल हों। PEAK कोलोराडो और उसके बाहर दिव्यांग बच्चों के परिवारों और स्व-अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क और कम लागत वाली कई सेवाएँ प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए आप PEAK की वेबसाइट पर जा सकते हैं (https://www.peakparent.org/) या उनसे 719-531-9400 पर संपर्क कर सकते हैं।

Show and Tell Corporation

Show and Tell एक 501(c)(3) अभिभावक-प्रेरित संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी, तथा यह THRIVE Center की सहोदरा संस्था है, जिसे पूर्व में Denver Metro Community Parent Resource Center के नाम से जाना जाता था। Show and Tell जन्म से लेकर छब्बीस वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों के परिवारों, तथा दिव्यांग और विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं वाले युवाओं की वकालत करता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे

अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करें और अपने स्कूल एवं समुदायों के योगदान देने वाले सदस्य बनने का प्रयास करें। Show and Tell का मुख्य ध्यान वंचित BIPOC (अश्वेत, स्वदेशी और रंगीन लोग) परिवारों के साथ संबंध बनाने और उन्हें उन उपकरणों से जोड़ने पर है, जो उनके बच्चों को आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए ज़रूरी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप Show and Tell की वेबसाइट देख सकते हैं (https://weshowandtell.org) या उनसे 303-632-6840 पर संपर्क कर सकते हैं।

परिशिष्ट C विवाद समाधान विकल्पों का संक्षिप्त अवलोकन

	मध्यस्थता	राज्य की शिकायतें	सम्यक प्रक्रिया (गैर-त्वरित) शिकायतें
कौन दाखिल कर सकता है?	कोई अभिभावक या प्रशासनिक इकाई (AU) इसका अनुरोध कर सकते हैं, किंतु प्रक्रिया शुरू होने से पहले दोनों पक्षों का स्वैच्छिक रूप से मध्यस्थता के लिए सहमत होना अनिवार्य है।	कोई भी व्यक्ति या संगठन।	अभिभावक अथवा AU।
किन मुद्दों के लिए?	दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम (IDEA) अथवा विशिष्ट बालक शिक्षा अधिनियम (Exceptional Children's Educational Act, ECEA) के अंतर्गत संरक्षित विषयों से संबंधित विवाद।	IDEA अथवा ECEA का कोई भी ऐसा कथित उल्लंघन जो उचित रूप से दर्ज की गई शिकायत की तिथि से एक वर्ष से अधिक पूर्व घटित न हुआ हो।	पिछले दो वर्षों के भीतर घटित IDEA या ECEA का कोई भी कथित उल्लंघन, जो किसी दिव्यांग बच्चे की पहचान, मूल्यांकन या शैक्षिक स्थानन, अथवा निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) प्रदान करने से संबंधित हो।
लागत?	पक्षकारों के लिए निःशुल्क। विभाग मध्यस्थ की सेवाओं के लिए भुगतान करता है।	कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है। प्रत्येक पक्षकार को अपने द्वारा लिए गए किसी भी अधिवक्ता शुल्क और अन्य खर्चों का भुगतान स्वयं करना होगा।	कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है। प्रत्येक पक्षकार को अपने द्वारा लिए गए किसी भी अधिवक्ता शुल्क और अन्य खर्चों का भुगतान स्वयं करना होगा।
निर्णय कौन लेता है?	परिणाम पक्षकारों के नियंत्रण में होता है।	राज्य शिकायत अधिकारी (SCO)।	प्रशासनिक कानून न्यायाधीश (ALJ)।
क्या होता है?	पक्षकारों को उनके विवाद के समाधान में सहायता प्रदान करने हेतु एक निष्पक्ष मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। मध्यस्थ पक्षकारों को उनके दृष्टिकोण और पक्ष व्यक्त करने में सहायता करता है, किंतु वह तटस्थ बना रहता है और किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है।	एक पक्षकार द्वारा राज्य शिकायत और उससे संबंधित दस्तावेज दर्ज किए जाते हैं। इसके पश्चात, दूसरा पक्षकार एक प्रत्युत्तर दर्ज करता है। इसके पश्चात, शिकायतकर्ता पक्ष प्रत्युत्तर के जवाब में अपना उत्तर दर्ज कर सकता है। नियुक्त SCO एक जाँच करता है, जिसमें संबंधित पक्षों के साक्षात्कार और प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा शामिल होती है।	एक पक्षकार द्वारा उचित प्रक्रिया शिकायत और संबंधित दस्तावेज दर्ज किए जाते हैं। ALJ को नियुक्त किया जाता है। AU के लिए एक समाधान बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। किसी भी अनसुलझे मुद्दे की सुनवाई ALJ द्वारा की जाती है। सुनवाई के दौरान, प्रत्येक पक्षकार साक्ष्य प्रस्तुत करता है, गवाही देता है और गवाहों से जिरह करता है।

	मध्यस्थता	राज्य की शिकायतें	सम्यक प्रक्रिया (गैर-त्वरित) शिकायतें
समय-सीमा	मध्यस्थता का समयबद्ध तरीके से निर्धारित किया जाना अनिवार्य है। सामान्यतः, मध्यस्थता की प्रक्रिया अनुरोध प्राप्त होने के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर पूरी कर ली जाती है।	SCO और AU द्वारा विधिवत दायर शिकायत प्राप्त होने के 60 कैलेंडर दिनों के भीतर एक लिखित निर्णय जारी किया जाता है।	AU को, विधिवत दायर शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर एक समाधान बैठक आयोजित करनी चाहिए। समाधान अवधि अधिकतम 30 दिनों तक जारी रह सकती है। यदि कोई समाधान नहीं निकलता है, तो 45 दिनों के भीतर सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए और निर्णय जारी किया जाना चाहिए।
परिणाम एवं उपचारात्मक उपाय	प्रवर्तन योग्य होने के लिए, किसी भी समझौते को लिखित रूप में तैयार किया जाना और मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है। अनसुलझे विवादों के संबंध में, कोई भी पक्षकार एक राज्य शिकायत और/या उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कर सकता है।	SCO एक लिखित निर्णय जारी करता है। यदि SCO यह निर्धारित करता है कि IDEA के उल्लंघनों के लिए उपचार आवश्यक हैं, तो SCO ऐसे आदेश जारी करता है जिनका पालन करना AU के लिए अनिवार्य है, इन आदेशों में सुधारात्मक कार्य योजना, क्षतिपूरक सेवाएँ, IEP बैठक को पुन: आयोजित करना आदि शामिल हो सकते हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यदि SCO यह निर्धारित करता है कि IDEA का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो किसी भी उपचार का आदेश नहीं दिया जाता है।	ALJ एक लिखित निर्णय जारी करता है। यदि ALJ यह निर्धारित करता है कि IDEA के उल्लंघनों के लिए उपचार आवश्यक हैं, तो ALJ ऐसे आदेश जारी करता है जिनका पालन उल्लंघन को सुधारने के लिए किया जाना अनिवार्य है, इन आदेशों में क्षतिपूरक सेवाएँ, IEP बैठक को पुनः आयोजित करना आदि शामिल हो सकते हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यदि ALJ यह निर्धारित करता है कि IDEA का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो किसी भी उपचार का आदेश नहीं दिया जाता है।
अपील?	यदि कोई पक्षकार यह आरोप लगाता है कि समझौते का उल्लंघन किया गया है, तो वह पक्षकार राज्य या संघीय अदालत में उस समझौते के प्रवर्तन की मांग कर सकता है।	SCO के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, किंतु कोई भी पक्षकार उसी विषय पर उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कर सकता है।	ALJ के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर राज्य अथवा संघीय जिला अदालत में अपील की जा सकती है।

परिशिष्ट D संक्षिप्त स्कूल दिवस

वर्ष 2024 में, Colorado General Assembly ने दिव्यांग बच्चों के पूर्ण स्कूल दिवस में उपस्थिति के अधिकारों की रक्षा हेतु विधेयक अधिनियमित किया।[1]

दिव्यांग बालक से तात्पर्य उस किसी भी बालक से है, जिसे IEP अथवा धारा 504 योजना के लिए पात्र पाया गया है, या जिसके लिए इन दोनों में से किसी भी कानून के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु अनुशंसा की गई है।

यह परिशिष्ट इस राज्य के कानून के अंतर्गत आपके बालक के अधिकारों की व्याख्या करता है।
टिप्पणी: यदि आप, बालक के अभिभावक या कानूनी अभिभावक के रूप में, स्वयं संक्षिप्त स्कूल दिवस की समय-सारणी का अनुरोध करते हैं अथवा अपने बालक को पूर्ण दिवस के लिए स्कूल न भेजने का विकल्प चुनते हैं, तो यह राज्य कानून लागू नहीं होगा।

संक्षिप्त स्कूल दिवस से क्या तात्पर्य है?

संक्षिप्त स्कूल दिवस से तात्पर्य ऐसे किसी भी स्कूली दिवस से है, जिसके दौरान आपके बालक को उसी कक्षा और स्कूल के अधिकांश अन्य छात्रों की तुलना में कम घंटों के लिए शिक्षण या शैक्षिक सेवाएँ प्राप्त होती हैं। इसमें संक्षिप्त दिवस सम्मिलित है, चाहे वह नियोजित हो अथवा अनियोजित।

संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी से क्या तात्पर्य है?

संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी से तात्पर्य IEP टीम अथवा 504 टीम द्वारा तैयार और अनुमोदित ऐसी समय-सारणी से है, जिसके अंतर्गत आपके बालक को उसी कक्षा और स्कूल के अधिकांश अन्य छात्रों की तुलना में नियमित रूप से कम घंटों के लिए शिक्षण या शैक्षिक सेवाएँ प्राप्त होती हैं।

संक्षिप्त स्कूल दिवस अनुशासन से किस प्रकार संबंधित है?

यदि स्कूल आपके बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उसके स्कूली दिवस को संक्षिप्त करने का निर्णय लेता है, तो इसे अनुशासनात्मक निष्कासन/निलंबन माना जाना अनिवार्य है, भले ही आपके बालक को औपचारिक रूप से निलंबित न किया गया हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- व्यवहार के कारण स्कूल आपको अपने बालक को जल्दी ले जाने के लिए फोन करता है;
- कोई शिक्षक व्यवहार के कारण आपके बालक को कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता है;
- स्कूल का एक अधिकारी अपने स्तर पर यह निर्णय लेता है कि व्यवहार के कारण आपके बच्चे को कम समय के स्कूल दिवस में शामिल होना होगा।

स्कूल का कोई अधिकारी स्वयं अपने निर्णय से यह तय करता है कि व्यवहार के कारण आपके बालक को संक्षिप्त स्कूल दिवस में ही उपस्थित होना होगा।
हालाँकि, यदि आपने स्वयं अपने बालक को स्कूल से जल्दी भेजने का अनुरोध किया था या उसे समय से पूर्व घर ले जाने का निर्णय लिया था, तो इसे अनुशासनात्मक निष्कासन के रूप में नहीं गिना जाएगा।

इसका अर्थ यह नहीं है कि स्कूल डिस्ट्रिक छात्र आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आपके बालक को अनुशासित (निलंबित) नहीं कर सकता है, बशर्ते कि वह IDEA अथवा धारा 504 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।

[1] § 22-20-123(1)(a)(IV)-(V), C.R.S

संक्षिप्त स्कूल दिवस आपके बच्चे की उपस्थिति से किस प्रकार संबंधित है?

आपके बालक को केवल इसलिए अनुपस्थित या दीर्घकालिक रूप से गैर-हाज़िर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्हें एक IEP या 504 टीम द्वारा उचित रूप से संक्षिप्त स्कूल दिवस की समय-सारणी पर रखा गया है।
आपके बालक को शैक्षिक भ्रमण, स्कूली कार्यक्रमों और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए वही अवसर प्राप्त होने चाहिए, जो उनके समान आयु के गैर-दिव्यांग सहपाठियों को उपलब्ध हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपके बालक को केवल इसलिए शैक्षिक भ्रमण, स्कूली कार्यक्रमों और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उनकी IEP या 504 टीम द्वारा एक संक्षिप्त समय-सारणी पर रखा गया है। यदि आपके बालक को शैक्षिक भ्रमण, स्कूली कार्यक्रमों और पाठ्येतर गतिविधियों में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए पूरक सहायता एवं सेवाओं की आवश्यकता है, तो इनका निर्धारण IEP या 504 टीम द्वारा किया जाना चाहिए तथा इनका विवरण IEP या 504 Plan में उल्लेखित होना अनिवार्य है।

वे कौन से अनुमेय कारण हैं जिनके आधार पर आपके बालक को संक्षिप्त स्कूल दिवस की समय-सारणी पर रखा जा सकता है?

आपके बच्चे को एक संक्षिप्त स्कूली कार्यदिवस अनुसूची पर रखा जा सकता है, यदि IEP या धारा 504 टीम ने यह निर्धारित किया हो कि बच्चे की विशिष्ट और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण (LRE) में निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) प्रदान करने के लिए ऐसी अनुसूची आवश्यक है। यदि आपके बालक के पास एक IEP है, तो संबंधित टीम के लिए उस व्यवहार के समाधान हेतु सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप एवं सहायता तथा अन्य रणनीतियों के उपयोग पर विचार करना अनिवार्य है।

किन कारणों के आधार पर आपके बच्चे को संक्षिप्त स्कूल दिवस अनुसूची पर रखना अनुमेय नहीं होगा?

स्कूल प्रशासनिक सुविधा अथवा संसाधनों की कमी के आधार पर आपके बच्चे को संक्षिप्त अनुसूची पर नहीं रख सकता। इसमें उचित रूप से लाइसेंस प्राप्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता, कर्मचारियों को बनाए रखने, वैकल्पिक स्थानन के लिए आपके बालक को प्रतीक्षा सूची में रखने, सुलभ सुविधाओं, तथा संबंधित सेवाओं जैसे कि नर्सिंग और परिवहन सेवाओं की उपलब्धता से संबंधित परिस्थितियाँ सम्मिलित होंगी।

यदि मैं संक्षिप्त स्कूल दिवस अनुसूची का अनुरोध इस उद्देश्य से करूँ कि मेरा बच्चा स्कूल समय के दौरान घर-आधारित उपचार सेवाएँ या अन्य सेवाएँ प्राप्त कर सके, तो क्या होगा?

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संक्षिप्त स्कूल दिवसों पर राज्य का कानून तब लागू नहीं होता है, यदि आप, बच्चे के अभिभावक के रूप में, संक्षिप्त स्कूल दिवस का अनुरोध करते हैं। यदि आप अपने बच्चे के लिए संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी का अनुरोध करते हैं, तो IEP/504 टीम को यह निर्धारित करना होगा कि क्या संक्षिप्त समय-सारणी के साथ LRE में FAPE प्रदान की जा सकती है। चूँकि स्कूल आपके बच्चे को LRE में FAPE देने और प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, इसलिए टीम संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी के आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती है, यदि ऐसी समय-सारणी IDEA/504 के तहत उसके दायित्वों का उल्लंघन करती है। यदि आपके बच्चे का IEP है, तो टीम को आपके बच्चे को संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर रखने की अपनी अस्वीकृति को 34 C.F.R. § 300.503 के अनुरूप, एक पूर्व लिखित सूचना में दस्तावेजीकृत करना चाहिए।

संक्षिप्त स्कूल दिवस अनुसूची पर विचार करते समय IEP/504 दल की क्या भूमिका है?

IEP या 504 टीम को यह निर्धारित करना होगा कि क्या एक संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी, IDEA और धारा 504 के संगत, आपके बच्चे की दिव्यांग से जुड़ी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उचित है या नहीं। यदि आपके बच्चे के पास IEP है, तो संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर आरंभिक नियोजन का निर्धारण 34 C.F.R. § 300.324(a)(4) में वर्णित IEP संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।

संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर चर्चा करने के लिए आयोजित किसी भी बैठक से पूर्व, आपको प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के नोटिस की एक प्रति प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

न्यूनतम रूप से, टीम को IEP या धारा 504 योजना में संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी के निम्नलिखित घटकों को निर्धारित और वर्णित करना चाहिए:

- संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी को आपके बच्चे की पूर्ण दिवस समय-सारणी में वापसी में सहायता करने के लिए किस प्रकार तैयार किया गया है, जिसमें बच्चे को पूर्ण दिवस समय-सारणी में वापस लाने के लिए क्रमशः पुनरावर्तन के चरणों का विवरण शामिल हो।
- संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी आपके बच्चे के IEP या सीखने के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति और सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रगति कैसे सुनिश्चित करेगी।
- संक्षिप्त समय-सारणी पर रखे जाने के दौरान आपके बच्चे को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण और संबंधित सेवाओं के घंटों की संख्या, और स्कूल वर्ष का वह प्रतिशत जिसमें बच्चा संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर रहेगा।
- आपके बच्चे के IEP लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को कैसे मापा जाएगा, जिसमें कोई भी अल्पकालिक उद्देश्य या बेंचमार्क शामिल हैं।
- वह तारीख जब तक आपके बच्चे के पूर्ण दिवस समय-सारणी में लौटने की उम्मीद है, जो आपके बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उचित हो।
- वे तारीखें/समय-सारणी जिसके अनुसार टीम संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर नियोजन की समीक्षा करेगी।

IEP/504 टीम को संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी की समीक्षा कितनी बार करनी चाहिए?

टीम को यह निर्धारित करना होगा कि संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी की समीक्षा कब की जाएगी, और समीक्षा की गई समय-सारणी का IEP या 504 योजना में दस्तावेज़ीकरण करना होगा। टीम के लिए आरंभिक नियोजन के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी की समीक्षा करना अनिवार्य है, लेकिन परवर्ती समीक्षाओं के लिए टीम किसी अलग समय-सारणी पर सहमत हो सकती है। संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी की समीक्षा IEP/504 योजना में वर्णित समय-सारणी के अनुरूप की जानी अनिवार्य है। सहमति के बावजूद, संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी की वार्षिक रूप से समीक्षा की जानी अनिवार्य है।

संक्षिप्त स्कूल दिवस अनुसूची की समीक्षा करते समय IEP/504 दल के लिए किन बातों पर विचार करना अनिवार्य है?

समीक्षा बैठक के दौरान, टीम को आपके बच्चे की IEP लक्ष्यों की दिशा में प्रगति और टीम द्वारा वर्णित क्रमशः पुनरावर्तन के चरणों पर चर्चा करनी चाहिए, जो आपके बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उचित हो। इस आंकड़ों के आधार पर, टीम को संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी को जारी रखने की आवश्यकता का निर्धारण करना चाहिए। अगर आपका बच्चा तय किए गए नतीजों, लक्ष्यों और स्कूल में वापसी के चरणों के हिसाब से तरक्की नहीं कर रहा है, तो टीम को यह देखना होगा कि बच्चे की मदद के लिए दी जा रही सुविधाओं और सेवाओं में क्या बदलाव किए जाएं, ताकि उसकी प्रगति सुनिश्चित हो सके।

यदि मैं अपने बच्चे को संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर रखने के टीम के निर्णय से सहमत नहीं हूँ या अपनी सहमति नहीं देता/देती हूँ, तो क्या होगा?

यदि IEP/504 टीम यह निर्धारित करती है कि एक संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी आवश्यक है और FAPE के प्रस्ताव से संबद्ध है, और आप टीम के निर्णय से असहमत हैं, तो आप राज्य और संघीय कानून के तहत विद्यमान उपचारों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे के पास IEP है, तो आप मध्यस्थता का अनुरोध कर सकते हैं, राज्य शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या सम्यक प्रक्रिया शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे के पास 504 योजना है, तो आप नागरिक अधिकार कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यदि आपके बच्चे को संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर रखने का निर्णय FAPE के प्रस्ताव से संबद्ध नहीं है, तो स्कूल द्वारा इस समय-सारणी को क्रियान्वित करने से पहले आपकी लिखित और सूचित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी हेतु लिखित सहमति के अनुरोध में, जो **FAPE के प्रस्ताव से संबद्ध नहीं है**, निम्नलिखित जानकारी होनी अनिवार्य है:

- आपके बच्चे का उसी स्कूल में उसी कक्षा के अन्य बच्चों के समान ही शिक्षण और शैक्षिक सेवाओं के घंटों तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार।
- यह विवरण कि स्कूल किसी दिव्यांग बच्चे को एकपक्षीय रूप से संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर नहीं रख सकता है।
- आचरण या व्यवहार के कारण अनुशासन और अनौपचारिक निष्कासन से संबंधित छात्र अधिकारों की व्याख्या करने वाला विवरण।
- यह विवरण कि संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर रखने के लिए सहमति तब तक नहीं मांगी गई थी, जब तक कि अभिभावकों को इसकी आवश्यकता निर्धारित करने हेतु आयोजित IEP या 504 बैठक में भाग लेने का सार्थक अवसर प्राप्त नहीं हो गया।
- यह विवरण कि अभिभावकों के पास किसी भी समय लिखित रूप में अपनी सहमति वापस लेने या संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी का विरोध करने का अधिकार है।
- संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी के संबंध में विवरण, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - आपके बच्चे को संक्षिप्त समय-सारणी पर रखे जाने से पूर्व प्रदान किए गए या विचार किए गए सहयोग, सेवाएँ और वैकल्पिक उपाय।
    - संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी को आपके बच्चे की पूर्ण दिवस समय-सारणी में वापसी में सहायता करने के लिए किस प्रकार तैयार किया गया है, जिसमें बच्चे को पूर्ण दिवस समय-सारणी में वापस लाने के लिए क्रमशः पुनरावर्तन के चरणों का विवरण शामिल हो।
    - संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी आपके बच्चे के IEP लक्ष्यों की दिशा में प्रगति और सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में उसकी उन्नति को किस प्रकार सुनिश्चित करेगी।
    - संक्षिप्त समय-सारणी पर रखे जाने के दौरान आपके बच्चे को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के घंटों और संबद्ध सेवाओं की संख्या।
    - आपके बच्चे के IEP लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को कैसे मापा जाएगा, जिसमें कोई भी अल्पकालिक उद्देश्य या बेंचमार्क शामिल हैं।
    - संक्षिप्त स्कूल दिवस समय-सारणी पर आपके बच्चे की प्रगति की समीक्षा करने हेतु आयोजित होने वाली बैठकों की तिथि और आवृत्ति।
    - वह तिथि जब तक आपके बच्चे के पूर्ण-दिवसीय समय-सारणी पर लौटने की अपेक्षा है।

सहमति का अनुरोध आपको ऐसी भाषा और स्वरूप में प्रदान किया जाना चाहिए जो आपके लिए सुलभ हो, जिसमें आपकी मूल भाषा या संप्रेषण की विधा भी शामिल है, यदि उचित हो।

आप किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं।

शब्दकोष

504

धारा 504 एक संघीय कानून है जो दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव का निषेध करता है और यह प्रत्याभूत (गारंटी) देता है कि दिव्यांग छात्रों को शैक्षिक अवसरों तक समान पहुँच प्राप्त हो, जिसमें सार्वजनिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) शामिल है। अमेरिकी शिक्षा विभाग, नागरिक अधिकार कार्यालय। (27 अप्रैल, 2022) तथ्य पत्रक: कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना और धारा 504 के तहत क्षतिपूरक सेवाओं की आवश्यकता का समाधान (https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/factsheet-504.html)।

प्रशासनिक इकाई (AU)

प्रशासनिक इकाई (AU) से तात्पर्य एक स्कूल डिस्ट्रिक, सहकारी सेवा बोर्ड, बहु-जिला प्रशासनिक इकाई, चार्टर स्कूल नेटवर्क, चार्टर स्कूल सहयोगी, अथवा State Charter School Institute से है, जो विशिष्ट बच्चों को शैक्षिक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं और जो इन नियमों के स्थानीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। CCR 301-8 §2.02. Colorado Department of Education (5 अगस्त, 2023) ECEA के प्रशासन हेतु नियम भी देखें (https://www.coloradosos.gov/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=11218)।

दिव्यांग अमेरिकी नागरिक अधिनियम (ADA)

दिव्यांग अमेरिकी नागरिक अधिनियम (ADA) एक संघीय नागरिक अधिकार कानून है, जो दैनिक गतिविधियों में दिव्यांग व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ADA दिव्यांग के आधार पर भेदभाव को उसी प्रकार प्रतिषेध करता है, जैसे अन्य नागरिक अधिकार कानून नस्ल, रंग, लिंग, मूल राष्ट्रीयता, आयु और धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। ADA यह गारंटी देता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के पास रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने, तथा राज्य और स्थानीय सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अन्य सभी के समान ही समान अवसर हों। अमेरिकी न्याय विभाग, नागरिक अधिकार प्रभाग। दिव्यांग अमेरिकी नागरिक अधिनियम का परिचय (https://www.ada.gov/topics/intro-to-ada/)।

सहकारी शैक्षिक सेवा बोर्ड (BOCES)

सहकारी शैक्षिक सेवा बोर्ड से तात्पर्य C.R.S. के शीर्षक 22 के अनुच्छेद 5 के अनुसरण में गठित एक क्षेत्रीय शैक्षिक सेवा इकाई से है, जिसे सहभागी सदस्यों द्वारा अनुबंधित सहायक, शिक्षण, प्रशासनिक, सुविधा, सामुदायिक या किसी अन्य सेवा को प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। 1 CCR 301.8 §2.05. Colorado Department of Education (5 अगस्त, 2023) ECEA के प्रशासन हेतु नियम भी देखें (https://www.coloradosos.gov/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=11218)।

सहमति

सहमति से अभिप्राय यह है कि (क) जिस गतिविधि के लिए सहमति अपेक्षित है, उससे संबंधित समस्त प्रासंगिक जानकारी अभिभावक को उसकी मातृभाषा अथवा अन्य संप्रेषण माध्यम में पूर्णतः प्रदान की गई हो; (ख) अभिभावक उस गतिविधि के निष्पादन को, जिसके लिए उसकी सहमति अपेक्षित है, लिखित रूप में समझता हो और उससे सहमत हो, तथा सहमति-पत्र में उस गतिविधि का विवरण एवं वे अभिलेख (यदि कोई हों) निर्दिष्ट हों, जो जारी किए जाएंगे तथा यह भी कि उन्हें किसे जारी किया जाएगा; और (ग) अभिभावक यह समझता हो कि सहमति प्रदान करना पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा इसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, और यदि अभिभावक सहमति निरस्त करता है, तो ऐसा निरस्तीकरण पूर्वव्यापी नहीं होगा (अर्थात् यह सहमति दिए जाने के पश्चात् तथा सहमति निरस्त किए जाने से पूर्व संपन्न किसी कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा)। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1414(a)(1)(D)) 34 CFR §300.9. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

दिन, कार्य दिवस, स्कूल दिवस

दिन का अर्थ है कैलेंडर दिवस, जब तक कि अन्यथा इसे कार्य दिवस या स्कूल दिवस के रूप में निर्दिष्ट न किया गया हो। **कार्य दिवस** का अर्थ है सोमवार से शुक्रवार, संघीय और राज्य के अवकाशों को छोड़कर (जब तक कि अवकाशों को कार्य दिवस के पदनाम में विशेष रूप से शामिल न किया गया हो, जैसा कि § 300.148(d)(1)(ii) में है)।

स्कूल दिवस का अर्थ है कोई भी ऐसा दिन, जिसमें आंशिक दिन भी शामिल है, जब बच्चे शिक्षण के प्रयोजनों के लिए स्कूल में उपस्थित होते हैं। स्कूल दिवस का अर्थ स्कूल के सभी बच्चों के लिए समान है, जिसमें दिव्यांग वाले और बिना दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल हैं।
(प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1221e–3) 34 CFR §300.11. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https:// sites.ed.gov/idea/regs/b)।

शैक्षिक सरोगेट अभिभावक
शैक्षिक सरोगेट अभिभावक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ECEA नियमों की धारा 6.02(8)(e)(iii) में स्थापित योग्यताओं को पूरा करता है और जिसे बच्चे की पहचान, मूल्यांकन, शैक्षिक स्थानन और निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित सभी शैक्षिक निर्णयन प्रक्रियाओं में बच्चे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है; यह नियुक्ति तब की जाती है जब दिव्यांग बच्चे के अभिभावक अज्ञात हों, उनका पता न लगाया जा सके, वे अनुपलब्ध हों या बच्चा राज्य का प्रतिपाल्य हो। एक शैक्षिक सरोगेट अभिभावक की नियुक्ति ECEA नियमों की धारा 6.02
(8) के अनुसार की जाएगी। 1 CCR 301-8 §2.14. Colorado Department of Education (5 अगस्त, 2023) ECEA के प्रशासन हेतु नियम भी देखें (https://www.coloradosos.gov/CCR/ GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=11218)।

मूल्यांकन
मूल्यांकन से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग धारा § 300.304 से § 300.311 के अनुपालन में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या बच्चा दिव्यांग है, और उसे दी जाने वाली विशेष शिक्षा एवं संबद्ध सेवाओं की प्रकृति और विस्तार क्या होना चाहिए। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1414(a) (c)) 34 CFR 300.15. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

विशिष्ट बालक शिक्षा अधिनियम (ECEA)
प्रत्येक राज्य के लिए IDEA का पालन करना अनिवार्य है, किंतु IDEA के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त कानून और नियम भी बना सकते हैं। कोलोराडो में, *ECEA के प्रशासन हेतु नियम* उन विशिष्ट आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं कि पूरे राज्य में IDEA और विशेष शिक्षा को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाना है। Colorado Department of Education (दिसंबर, 2023) ECEA के प्रशासन हेतु नियम भी देखें (https://www.coloradosos.gov/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=11218)।

पारिवारिक शैक्षिक अधिकार और गोपनीयता अधिनियम (FERPA)
पारिवारिक शैक्षिक अधिकार और गोपनीयता अधिनियम (FERPA) एक संघीय कानून है जो अभिभावकों को उनके बच्चों के शिक्षा अभिलेख तक पहुँच का अधिकार, अभिलेख को संशोधित करने का अनुरोध करने का अधिकार, और शिक्षा अभिलेख से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी के प्रकटीकरण पर कुछ नियंत्रण रखने का अधिकार प्रदान करता है। जब कोई छात्र 18 वर्ष का हो जाता है, या किसी भी उम्र में उत्तर-माध्यमिक संस्थान में प्रवेश लेता है, तो FERPA के तहत अधिकार अभिभावक से छात्र को हस्तांतरित हो जाते हैं (ऐसे छात्र को "योग्य छात्र" या कहा जाता है)। FERPA सांविधिक कानून 20 U.S.C. § 1232g में पाया जाता है और FERPA विनियम 34 CFR भाग 99 में दिए गए हैं। अमेरिकी शिक्षा विभाग, छात्र गोपनीयता नीति कार्यालय। (तिथिरहित) FERPA क्या है? (https://studentprivacy.ed.gov/faq/what-ferpa)।

निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा (FAPE)
निःशुल्क एवं समुचित सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) से तात्पर्य विशेष शिक्षा और संबद्ध सेवाओं से है जो: (क) सार्वजनिक व्यय पर, सार्वजनिक पर्यवेक्षण और निर्देशन में, और बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं; (ख) राज्य शिक्षा एजेंसी (SEA) के मानकों को पूरा करती हैं, जिसमें इस भाग की आवश्यकताएं भी शामिल हैं; (ग) जिसमें संबंधित राज्य में उचित प्री-स्कूल, प्राथमिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल की शिक्षा शामिल है; और (घ) जो एक ऐसे व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (IEP) के अनुरूप प्रदान की जाती हैं जो धारां § 300.320 से § 300.324 की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1401(9)) 34 CFR §300.17. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (IEP)

व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या IEP से तात्पर्य एक दिव्यांग बच्चे के लिए तैयार किए गए उस लिखित विवरण (कार्यक्रम) से है, जिसे धारा § 300.320 से § 300.324 के अनुपालन में तैयार किया जाता है, जिसकी समीक्षा की जाती है और जिसमें संशोधन किया जाता है। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1401(14)) 34 CFR §300.22. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https:// sites.ed.gov/idea/regs/b)।

IEP सुगमीकरण

इन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के पृष्ठ G6 पर विशेष शिक्षा सुगमीकरण देखें।

व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम दल (IEP दल)

व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम दल या IEP दल से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है, जिसका वर्णन धारा §300.321 में किया गया है, और जो दिव्यांग बच्चे के लिए IEP तैयार करने, उसकी समीक्षा करने या उसमें संशोधन करने के लिए उत्तरदायी है। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1414(d)(1)(B)) 34 CFR §300.23. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा अधिनियम (IDEA)

IDEA से तात्पर्य संघीय "दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा सुधार अधिनियम 2004", 20 U.S.C. §1400 इत्यादि, जैसा कि संशोधित है, और इसके कार्यान्वयन विनियम, 34 CFR भाग 300 और 34 CFR भाग 303 से है, जहाँ तक वे विनियम Child Find से संबंधित हैं। 1 CCR 301-8 §2.22. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण (LRE)

न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण से तात्पर्य है कि: (1) अधिकतम समुचित सीमा तक, दिव्यांग बच्चों को—जिनमें सार्वजनिक या निजी संस्थानों या अन्य देखभाल सुविधाओं में रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं—उन बच्चों के साथ शिक्षित किया जाए जो दिव्यांग नहीं हैं; और (2) दिव्यांग बच्चों को सामान्य शैक्षिक वातावरण से हटाकर विशेष कक्षाओं, अलग स्कूली शिक्षा या अन्य माध्यमों में तभी रखा जाए, यदि दिव्यांगता की प्रकृति या गंभीरता ऐसी हो कि पूरक सहायता और सेवाओं के उपयोग के बावजूद सामान्य शैक्षिक कक्षाओं में शिक्षा संतोषजनक रूप से प्राप्त न की जा सके। Colorado Department of Education (दिसंबर, 2023) ECEA के प्रशासन हेतु नियम (https://www.coloradosos.gov/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=11218)।

स्थानीय शैक्षिक अभिकरण (LEA)

स्थानीय शिक्षा एजेंसी से तात्पर्य है (क) शिक्षा का एक सार्वजनिक बोर्ड या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण जो किसी राज्य के भीतर शहर, काउंटी, टाउनशिप, स्कूल डिस्ट्रिक या राज्य के अन्य राजनीतिक उपखंडों में सार्वजनिक प्राथमिक या माध्यमिक स्कूलों के प्रशासनिक नियंत्रण या निर्देशन के लिए, अथवा उनके लिए सेवा कार्य करने हेतु विधिक रूप से गठित किया गया हो; या स्कूल डिस्ट्रिक या काउंटियों के ऐसे संयोजन के लिए जिसे राज्य में उसके सार्वजनिक प्राथमिक या माध्यमिक स्कूलों के लिए एक प्रशासनिक एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त हो; (ख) शैक्षिक सेवा एजेंसियाँ और अन्य सार्वजनिक संस्थान या एजेंसियाँ। इस शब्द के अंतर्गत शामिल हैं: (1) एक शैक्षिक सेवा एजेंसी, जैसा कि धारा § 300.12 में परिभाषित है; (2) कोई भी अन्य सार्वजनिक संस्थान या एजेंसी जिसके पास सार्वजनिक प्राथमिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल का प्रशासनिक नियंत्रण और निर्देशन हो, जिसमें एक सार्वजनिक गैर-लाभकारी चार्टर स्कूल भी शामिल है जो राज्य कानून के तहत एक LEA के रूप में स्थापित हो; और (ग) BIA द्वारा वित्तपोषित स्कूल। इस पद में भारतीय मामलों के ब्यूरो द्वारा वित्तपोषित कोई प्राथमिक स्कूल अथवा माध्यमिक स्कूल भी सम्मिलित है, जो भारतीय मामलों के ब्यूरो के अतिरिक्त किसी अन्य SEA के अधिकार-क्षेत्राधीन न हो; किन्तु केवल उस सीमा तक, जहाँ ऐसा समावेशन उस स्कूल को उन कार्यक्रमों हेतु पात्र बनाता हो, जिनके लिए विधि के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत उस स्कूल के लिए विशिष्ट पात्रता उपबंधित न हो, तथा उस स्कूल की छात्र संख्या उस अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले LEA की न्यूनतम छात्र संख्या से कम न हो, जिसकी छात्र संख्या सबसे कम है। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1401 (19)) 34 CFR §300.28. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/ b)।

मातृभाषा

मातृभाषा से, जब इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है जो अंग्रेज़ी भाषा में सीमित प्रवीणता रखता है, निम्नलिखित अभिप्राय है: (1)(a) वह भाषा जो सामान्यतः उस व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाती है, या, बच्चे के मामले में, वह भाषा जो सामान्यतः बच्चे के अभिभावक द्वारा उपयोग की जाती है, सिवाय इसके कि इस धारा के उपबंध (1)(b) में अन्यथा प्रावधान किया गया हो। (1)(b) बच्चे के साथ सभी प्रत्यक्ष संपर्क (जिसमें बच्चे का मूल्यांकन भी शामिल है) के दौरान, वह भाषा जो सामान्यतः बच्चे द्वारा घर या शिक्षण वातावरण में उपयोग की जाती है। (2) ऐसे व्यक्ति के लिए जो बधिरता या दृष्टिहीनता से प्रभावित है, अथवा जिसके पास कोई लिखित भाषा नहीं है, संप्रेषण का वह माध्यम जो सामान्यतः उस व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है (जैसे सांकेतिक भाषा, ब्रेल, या मौखिक संचार)। 1 CCR 301-8 §2.32. Colorado Department of Education (दिसंबर 2023)ECEA के प्रशासन हेतु नियमभी देखें(https://www.coloradosos.gov/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=11218)।

अभिभावक

अभिभावक से अभिप्राय है: (क)(1) किसी बालक के जैविक या दत्तक माता-पिता; (2) एक पालक माता-पिता, जब तक कि राज्य के कानून, विनियम, या किसी राज्य या स्थानीय निकाय के साथ संविदात्मक बाध्यताएं किसी पालक माता-पिता को अभिभावक के रूप में कार्य करने से प्रतिषिद्ध न करती हों; (3) सामान्यतः बालक के अभिभावक के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत, अथवा बालक के लिए शैक्षिक निर्णय लेने हेतु अधिकृत कोई संरक्षक (किंतु यदि बालक राज्य का प्रतिपाल्य है, तो राज्य अभिभावक नहीं माना जाएगा); (4) जैविक या दत्तक माता-पिता के स्थान पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति (जिसमें दादा-दादी/नाना-नानी, सौतेले माता-पिता, या अन्य रिश्तेदार सम्मिलित हैं) जिसके साथ बालक निवास करता है, अथवा वह व्यक्ति जो बालक के कल्याण के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है; या (5) एक सरोगेट (प्रतिनिधि) अभिभावक जिसे धारा § 300.519 या अधिनियम की धारा 639(a)(5) के अनुसार नियुक्त किया गया हो। (b)(1) इस धारा के पैराग्राफ (b)(2) के प्रावधानों को छोड़कर, जब इस भाग के अंतर्गत जैविक या दत्तक माता-पिता अभिभावक के रूप में कार्य करने का प्रयास कर रहे हों और जब पैराग्राफ (a) के अंतर्गत एक से अधिक पक्ष अभिभावक के रूप में कार्य करने हेतु अर्हता रखते हों, तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए जैविक या दत्तक माता-पिता को ही अभिभावक माना जाएगा, जब तक कि उनके पास बालक के लिए शैक्षिक निर्णय लेने का कानूनी अधिकार न हो। (2) यदि किसी न्यायिक डिक्री या आदेश के माध्यम से इस धारा के पैराग्राफ (a)(1) से (4) के अंतर्गत किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को बच्चे के "अभिभावक" के रूप में कार्य करने या बच्चे की ओर से शैक्षिक निर्णय लेने के लिए चिन्हित किया गया है, तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को ही "अभिभावक" माना जाएगा। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1401(23)) 34 CFR §300.30. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य

व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य से अभिप्राय ऐसी सूचना से है, जिसमें (क) बच्चे, बच्चे के अभिभावक, अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम; (ख) बच्चे का पता; (ग) कोई व्यक्तिगत पहचानकर्ता, जैसे बच्चे का सामाजिक सुरक्षा क्रमांक या छात्र संख्या; अथवा (घ) व्यक्तिगत विशेषताओं की ऐसी सूची या अन्य सूचना सम्मिलित हो, जिसके आधार पर युक्तिसंगत निश्चितता के साथ बच्चे की पहचान संभव हो सके। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1415(a)) 34 CFR §300.32. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/ regs/b)।

लोक अभिकरण

लोक अभिकरण के अंतर्गत CDE, LEAs, ESAs (शैक्षिक सेवा एजेंसियाँ), गैर-लाभकारी सार्वजनिक चार्टर स्कूल—जो अन्य रूप से LEAs या ESAs के रूप में शामिल नहीं हैं और किसी LEA या ESA के स्कूल नहीं हैं—तथा राज्य के अन्य कोई भी राजनैतिक उपखंड शामिल हैं, जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1412(a)(11)) 34 CFR §300.33. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

संबंधित सेवाएँ

संबंधित सेवाओं से अभिप्राय परिवहन तथा ऐसी विकासात्मक, सुधारात्मक, और अन्य सहायक सेवाओं से है, जो किसी दिव्यांग बच्चे को विशेष शिक्षा से लाभान्वित होने में सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक हों; तथा इसमें वाक्-भाषा रोगविज्ञान एवं श्रवण-विज्ञान सेवाएँ, दुभाषिया सेवाएँ, मनोवैज्ञानिक सेवाएँ, शारीरिक एवं व्यावसायिक चिकित्सा, मनोरंजन, जिसमें चिकित्सीय

मनोरंजन सम्मिलित है, बच्चों में दिव्यांगताओं की प्रारंभिक पहचान एवं मूल्यांकन, परामर्श सेवाएँ, जिसमें पुनर्वास परामर्श सम्मिलित है, अभिमुखीकरण एवं गतिशीलता सेवाएँ, तथा नैदानिक या मूल्यांकन प्रयोजनों हेतु चिकित्सीय सेवाएँ सम्मिलित हैं। संबंधित सेवाओं में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएँ और स्कूल नर्स सेवाएँ, स्कूलों में सामाजिक कार्य सेवाएँ, तथा अभिभावक परामर्श और प्रशिक्षण भी शामिल हैं। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1401(26)) 34 CFR §300.34. इस परिभाषा से संबंधित अपवादों और विहित शब्दावली हेतु, भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा से तात्पर्य है: (क)(1) अभिभावक के लिए प्रभार-रहित, विशेष रूप से तैयार किया गया निर्देश, जो किसी दिव्यांग बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जिसमें सम्मिलित हैं— (i) कक्षा में, घर पर, अस्पतालों और संस्थानों में, तथा अन्य परिवेशों में संचालित निर्देश; और (ii) शारीरिक शिक्षा में निर्देश। (2) विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से प्रत्येक को शामिल किया गया है, यदि वे सेवाएँ इस धारा के पैराग्राफ (a)(1) की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं— (i) वाक-भाषा विकृति विज्ञान सेवाएँ, या कोई अन्य संबंधित सेवा, यदि राज्य के मानकों के तहत उस सेवा को संबंधित सेवा के बजाय विशेष शिक्षा माना जाता है; (ii) यात्रा प्रशिक्षण; और (iii) व्यावसायिक शिक्षा। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1401(29)) 34 CFR §300.39. विशेष शिक्षा से संबंधित अन्य विहित शब्दावली हेतु भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https:// sites.ed.gov/idea/regs/b)।

विशेष शिक्षा सेवाएँ

विशेष शिक्षा सेवाओं या विशेष शिक्षा कार्यक्रमों से तात्पर्य उन सेवाओं या कार्यक्रमों से है जो किसी दिव्यांग बच्चे को उसके IEP के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं। 1 CCR 301-8 §2.45. Colorado Department of Education (दिसंबर, 2023) ECEA के प्रशासन हेतु नियम भी देखें (https:// www.coloradosos.gov/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=11218)।

विशेष शिक्षा सुगमीकरण

एक सुविधायुक्त विशेष शिक्षा बैठक वह बैठक होती है जिसमें एक निष्पक्ष सुविधाप्रदाता शामिल होता है, जो प्रभावी संचार को बढ़ावा देता है और छात्र की आवश्यकताओं के आधार पर IEP विकसित करने में IEP टीम की सहायता करता है। सुविधाप्रदाता टीम का ध्यान IEP के उचित विकास पर केंद्रित रखता है, साथ ही उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करता है और IEP टीम के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित करता है। सुविधाप्रदाता द्वारा संचालित विशेष शिक्षा बैठक में टीम के सभी अनिवार्य सदस्यों की उपस्थिति सम्मिलित होती है। यद्यपि टीम मुख्य रूप से IEP के निर्माण में संलग्न रहता है, तथापि सुविधाप्रदान की सेवाएँ IEP विकास की विहित प्रक्रिया के परिक्षेत्र से बाहर आयोजित होने वाली विशेष शिक्षा कार्यवाहियों के लिए भी उपलब्ध हैं। सुगमीकरण और इसके लाभों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु, IEP सुगमीकरण वेबपेज (https://www.cde.state.co.us/spedlaw/fiep) देखें।

राज्य शैक्षिक अभिकरण (SEA)

राज्य शैक्षिक अभिकरण अथवा SEA से अभिप्राय राज्य शिक्षा बोर्ड या उस अन्य अभिकरण अथवा अधिकारी से है, जो सार्वजनिक प्राथमिक स्कूलों एवं माध्यमिक स्कूलों के राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हो, अथवा यदि ऐसा कोई अधिकारी या अभिकरण विद्यमान न हो, तो राज्यपाल द्वारा या राज्य विधि के अधीन नामित किसी अधिकारी या अभिकरण से है। कोलोराडो राज्य के अंतर्गत, CDE को ही SEA के रूप में विधिक मान्यता प्राप्त है। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1401(32)) 34 CFR §300.41. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

राज्य संचालित कार्यक्रम (State Operated Program, SOP)

राज्य संचालित कार्यक्रम से अभिप्राय एक स्वीकृत स्कूल कार्यक्रम से है, जो विभाग द्वारा पर्यवेक्षित होता है और निम्नलिखित द्वारा संचालित किया जाता है: (1) Colorado School for the Deaf and the Blind, जिसमें धारा 22-80-102(4)(b), C.R.S. के अंतर्गत अधिकृत कोई भी स्कूल शामिल है; (2) Department of Corrections; या (3) Department of Human Services, जिसमें, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, Division of Youth Corrections तथा Fort Logan और Pueblo स्थित Mental Health Institutes शामिल हैं। 1 CCR 301-8 §2.49. Colorado Department of Education (दिसंबर 2023) ECEA के प्रशासन हेतु नियम भी देखें(https://www.coloradosos.gov/CCR / GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=11218)।

राज्य का प्रतिपाल्य

(क) इस धारा के उपबंध (ख) के अधीन, राज्य का प्रतिपाल्य से अभिप्राय उस बालक से है, जिसे उस राज्य द्वारा जहाँ वह निवास करता है, निम्नलिखित निर्धारित किया गया हो: (1) एक पालक बालक; (2) राज्य का एक प्रतिपाल्य; अथवा (3) किसी सार्वजनिक बाल कल्याण एजेंसी की अभिरक्षा में। (ख) अपवाद: राज्य के प्रतिपाल्य में वह पालक बालक सम्मिलित नहीं है जिसके पास ऐसा पालक अभिभावक है जो धारा § 300.30 में दी गई अभिभावक की परिभाषा पूर्ण करता हो। (प्राधिकरण: 20 U.S.C. 1401(36)) 34 CFR §300.45. भाग 300 (भाग B) — दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु राज्यों को सहायता — दिव्यांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम देखें (https://sites.ed.gov/idea/regs/b)।

CDE के विवाद समाधान संसाधन

राज्य शिकायतों से संबंधित प्रश्न?

संपर्क: वरिष्ठ राज्य शिकायत अधिकारी
ईमेल: Schubert_A@cde.state.co.us Ph: 720-788-0576
या
ईमेल: Dore_R@cde.state.co.us Ph: 720-951-8457

नियत प्रक्रिया के संबंध में प्रश्न?

संपर्क: विवाद निवारण समन्वयक
ईमेल: Alaniz_G@cde.state.co.us
फ़ोन: 720-584-4673

मध्यस्थता के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्न?

संपर्क: विवाद निवारण एवं सहायताप्रद समाधान पर्यवेक्षक
ईमेल: rains_k@cde.state.co.us
फ़ोन: 720-990-1464

IEP सुविधा-प्रदान के संबंध में प्रश्न?

संपर्क: विवाद निवारण एवं सहायताप्रद समाधान पर्यवेक्षक
ईमेल: rains_k@cde.state.co.us
फ़ोन: 720-990-1464

IEP सुविधा-प्रदान क्या है?

एक सुविधायुक्त विशेष शिक्षा बैठक वह बैठक होती है जिसमें एक निष्पक्ष सुविधाप्रदाता शामिल होता है, जो प्रभावी संचार को बढ़ावा देता है और छात्र की आवश्यकताओं के आधार पर IEP विकसित करने में IEP टीम की सहायता करता है। सुविधाप्रदाता टीम का ध्यान IEP के उचित विकास पर केंद्रित रखता है, साथ ही उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करता है और IEP टीम के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित करता है। सुविधाप्रदाता द्वारा संचालित विशेष शिक्षा बैठक में टीम के सभी अनिवार्य सदस्यों की उपस्थिति सम्मिलित होती है। यद्यपि टीम मुख्य रूप से IEP के निर्माण में संलग्न रहता है, तथापि सुविधाप्रदान की सेवाएँ IEP विकास की विहित प्रक्रिया के परिक्षेत्र से बाहर आयोजित होने वाली विशेष शिक्षा कार्यवाहियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

COLORADO
Department of Education